पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जून, 2011 ई0 (आषाढ़ 04, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–26

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	271–277	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	139–187	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सहकारित विभाग

अधिसूचना

विविध

08 मई, 2011 ई0

संख्या 814/XIV–1/2011–8(8)/2010–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड के सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संग्रह कुर्क अमीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड संग्रह कुर्क अमीन सेवा नियमावली–2011

भाग–1–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारिता विभाग संग्रह कुर्क अमीन सेवा नियमावली, 2011 है।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड सहकारिता विभाग संग्रह कुर्क अमीन सेवा एक अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

3–परिभाषाऐं–

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य 'निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड' से है;

(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) 'संविधान' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है;

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य की सरकार से है;

(ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;

(च) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त या इस नियमावली के प्रारंभ से पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त समझे गये संग्रह कुर्क अमीनों से है;

(छ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारिता विभाग संग्रह कुर्क अमीन सेवा से है।

(ज) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(झ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ञ) 'संग्रह कुर्क अमीन' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन कार्यरत या वेतन के आधार पर नियुक्त किये गये किसी संग्रह कुर्क अमीन से है;

भाग–2–संवर्ग

4–सेवा संवर्ग–

(1) सेवा में कर्मचारियों व पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट–क में दी गई है :

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेगें अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग–3–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी :–

(क) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सेवा में भर्ती सीधी भर्ती से की जायेगी।

6–आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग–4–अर्हताएं

7–राष्ट्रीयता–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिये; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो, परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से अधिक।

टिप्पणी–जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामन्जूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–शैक्षणिक अर्हता–

सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहियें :–

पद	अर्हतायें
1. संग्रह कुर्क अमीन	उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

9–अधिमानी अर्हता–

अभ्यर्थी जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

10–आयु–

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिये और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिये। परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

11–चरित्र–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी, इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहित प्रास्थिति–

पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, जो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

13–शारीरिक योग्यता–

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग–3 के अध्याय–3 में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रतिबन्ध यह है कि शारीरिक दोष जैसे हाथ अथवा पैर से विकलांग व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र न होगा।

भाग–5–भर्ती प्रक्रिया

14–रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

15–सीधी भर्ती प्रक्रिया–

सेवा में भर्ती की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ''ग'' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 में दिया गया है।

भाग–6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण एवं ज्येष्ठता

16–नियुक्ति–

मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15 के अधीन बनाई गई सूचियों में हों, नियुक्त करेगा।

17–परिवीक्षा–

(1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गई है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु उपबंध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरंतर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गई हो।

18–स्थायीकरण–

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर स्थाई किया जा सकेगा, यदि उसने–

(क) विहित प्रशिक्षण यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थाईकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

19–ज्येष्ठता–

(1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :

परन्तु उपबंध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिसे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है :

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हो, नीचे कर दी जायेंगी।

भाग–7–वेतन आदि

20–वेतनमान–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान ऐसे होंगे जैसे परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं।

21–परिवीक्षा के दौरान वेतन–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थाई सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थाई किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–8–अन्य प्राविधान

22–अधियाचना–

किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

23–अन्य विषयों पर विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

24–सेवा शर्तों का शिथिलीकरण–

यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

25–व्यावृत्ति

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

(कृपया नियम 4 तथा 20 देखें)

परिशिष्ट ''क''

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	
	समूह तीन		स्थाई	अस्थाई
1.	संग्रह कुर्क अमीन	3200–85–4900 (दिनांक 09 नवम्बर, 2000 से) पे–बैण्ड 5200–20200 ग्रेड–पे 2000 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतनमान)	–	86

परिशिष्ट ''ख''

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं शर्तें–

प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किये जायें।

आज्ञा से,

अजय सिंह नबियाल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 हिन्दी गजट/276–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जून, 2011 ई0 (आषाढ़ 04, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इं0), प्रथम तल, निकट आई.एस.बी.टी, माजरा, देहरादून

अधिसूचना

दिनांक 06.07.2010

संख्या–एफ–09(21)आर.जी. / यूईआरसी / 2010 / 697: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 संपठित धारा 181, के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भिक

(1) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरण ऊर्जा स्रोत्रों तथा गैर जीवाश्म–ईंधन आधारित–सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवर्त्त होंगे।

परन्तु, अध्याय 4 एवं 5 के उपबंध 01.07.2010 से लागू होंगे।

(3) इन विनियमों के प्रवर्त्त होने पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (गैर पंरपरागत व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2008 निरसित हो जायेगा।

2. लागू होने की परिधि एवं विस्तार

(1) ये विनियम उन सभी मामलों में लागू होंगे जिनमें उत्तराखण्ड राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापी या स्थानीय ग्रामीण ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म, ईंधन आधारित सह–उत्पादक, स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क का निर्धारण, अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा किया जाना है।

यह विनियम दिनांक 14.08.2010 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

आधारित सह–उत्पादक, स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क का निर्धारण, अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा किया जाना है।

परन्तु आगे यह कि अध्याय 4 एवं 5 में आये विनियम 01.01.2002 से पूर्व प्रवर्तित उत्पादक स्टेशनों के लिये लागू नहीं होंगे तथा उनके वर्तमान शुल्क, प्रत्येक मामले के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय किये जाने तक, लागू रहना जारी रहेंगे।

परन्तु आगे यह कि ऐसे उत्पादक स्टेशनों के संबंध में, जहॉ एक उच्चतर न्यायालय द्वारा निर्देश/आदेश जारी किये गये हैं, वहॉ ये ऐसे निर्देशों/आदेशों द्वारा शासित होंगे।

परन्तु आगे यह और कि ऐसे सभी मामलों में जहॉ वितरण अनुज्ञापी के साथ वैध रूप से विधिमान्य पी.पी.एज (PPAs) किये गये हैं या जहॉ परियोजना का वित्तीय समापन, इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व, पिछले विनियमों/आदेशों के आधार पर हुआ है, ऐसे उत्पादक स्टेशनों के पास इन विनियमों के अधीन आने का विकल्प होगा, ऐसी स्थिति में ये विनियम उन पर लागू होंगे तथा उत्पादकों को इन विनियमों की अधिसूचना के एक माह के भीतर इन विकल्पों को सूचित करना होगा। ऐसे उत्पादकों के पी.पी.एज. (PPAs) को इन विनियमों (जैसे कि समय–समय पर संशोधित) के साथ–साथ संशोधित होना आवश्यक होगा अन्यथा इन विनियमों के उपबंध उनसे पी.पी.एज.(PPAs) में समाविष्ट समझे जायंगे तथा किसी भी पूर्व उपबंध पर इसका सर्वोपरि प्रभाव होगा।

आगे यह भी कि जिन उत्पादकों को राज्य वितरण अनुज्ञापी के साथ दीर्घकालीन पी.पी.एज. किये हैं तथा जिन्होंने इन विनियमों के अधीन आने का विकल्प नहीं चुना है, वे भी इन विनियमों के अध्याय 4 तथा 5 के उपबंधों को छोड़कर इन विनियमों से शासित होंगे।

(2) अध्याय 4 और 5 के विनियमों को छोड़कर, ये विनियम, उत्तराखण्ड राज्य में स्थित उन अन्य उत्पादक स्टेशनों पर भी लागू होंगे जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित हैं, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन को सम्मिलित करते हुए, तथा जो राज्य पारेषण व/या वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे राज्य के वितरण अनुज्ञापी को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति व/या पारेषण करते हैं।

(3) इन विनियमों के अधीन आये उत्पादक स्टेशन्स, एक उत्पादक कंपनी के उत्पादक स्टेशन समझे जायेंगे तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन ऐसी उत्पादक कंपनी को नियत्त सभी कार्य, दायित्व तथा कर्तव्य भार इन उत्पादक स्टेशनों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्दों का निम्न लिखित अभिप्राय होगाः

a) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

b) एक उत्पादक स्टेशन के मामले में एक अवधि के संबंध में "अनुषंगी ऊर्जा उपभोग" या "ए.यू.एक्स.(AUX)" से उत्पादक स्टेशन के भीतर परिवर्तन हानियॉं तथा उत्पादक स्टेशन के अनुषंगी उपकरण द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है जिसे उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों के उत्पादक टर्मिनल्स पर उत्पादित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

c) "बैंकिंग" से उस प्रकिया का अभिप्राय है जिसके अधीन एक उत्पादक स्टेशन, ग्रिड को ऊर्जा की आपूर्ति किसी तृतीय पक्ष अथवा अनुज्ञापी को विक्रय के आशय से नहीं बल्कि ग्रिड से इस ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के अपने अधिकार के प्रयोग के आशय से करता है।

d) "बायोमास" से कृषि तथा वानिकी परिचालनों के दौरान उत्पादित अपशिष्ट (उदाहरण के लिये भूसा, और डालियॉं) या कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण परिचालन के उपोत्पाद के रूप में उत्पादित अपशिष्ट (जैसे भूसी, छिलके, तेल निकाली हुई खली, इत्यादि); समर्पित ऊर्जा बागानों में उत्पादित या जंगली झाड़ियॉं/खरपतवार से प्राप्त काष्ठ तथा कुछ औद्योगिक परिचालनों में उत्पादित काष्ठ अपशिष्ट अभिप्रेत हैं।

e) "क्षमता उपयोग कारक" से उस अवधि में संस्थापित क्षमता के तद्नुरूप प्रेषित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त उस अवधि के दौरान उत्पादन के तद्नुरूप प्रेषित कुल ऊर्जा अभिप्रेत होगी।

$$\text{क्षमता उपयोग कारक} = \frac{\text{प्रेषित ऊर्जा} \times 10^7}{\text{संस्थापित क्षमता} \times (1\text{-ए0यू0एक्स}) \times \text{एच(घण्टे)}}$$

जबकि,

ई एस ओ = अवधि के दौरान एम यू में एक्स बस, अर्थात अन्तः संबंध बिदु पर प्रेषित ऊर्जा।

आई सी = संस्थापित क्षमता एम डब्ल्यू में।

ए यू एक्स = मानकीय अनुषांगिक उपभोग (अर्थात सह–उत्पादन हेतु F.5

एच = अवधि में घंटों की संख्या।

f) "पूँजी लागत" से अभिप्राय इन विनियमों के विनियम 16(1) के अधीन परिभाषित रूप में पूँजी लागत से है।

g) "कैप्टिव उत्पादन संयंत्र" से, अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित ऊर्जा संयत्र से मुख्यतः स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत उत्पादन से है। किसी व्यक्ति द्वारा तथा इसमें सहकारी समिति या संगठन के सदस्यों के उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन के लिए

किसी सहकारी समिति या संगठन या व्यक्तियों द्वारा स्थापित ऊर्जा संयंत्र सम्मिलित है जहॉ स्वामित्व का न्यूनतम् छब्बीस प्रतिशत, कैप्टिव उपयोग कर्ताओं के पास हो तथा वार्षिक आधार पर अवधारित, ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत का न्यूनतम् इक्यावन प्रतिशत कैप्टिव उपयोग हेतु उपभोग किया जाता हो।

h) "आयोग" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

i) एक यूनिट के संबंध में "वाणिज्यिक परिचालन या स्थापना की तिथि (सी0ओ0डी0) उत्पादक द्वारा, घोषित उस तिथि एक सफल ट्रायल रन के द्वारा अधिकतम निरन्तर रेटिंग प्राप्त करने पर घोषित तिथि से है तथा उत्पादक स्टेशन के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से, अंतिम यूनिट या उत्पादक स्टेशन के ब्लॉक, के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि अभिप्रेत है तथा 'प्रवर्तन' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा। तथापि, लघु हायड्रो संयंत्र के मामले में प्रवर्तन में लाने की तिथि को अधिकतम् निरंतर रेटिंग प्राप्ति से नहीं जोड़ा जायेगा, किंतु उत्पादक को इसे प्रवर्तन से तीन वर्ष के भीतर प्रदर्शित करना होगा।

j) "कुल उष्मक मूल्य" या "जी सी वी" से, उत्पादन स्टेशन में उपयोग किये जाने वाले ईंधन के संबंध में यथास्थिति एक किलोग्राम ठोस ईंधन, या एक लीटर तरल ईंधन या एक घन मीटर गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन द्वारा किलो कैलोरी में उत्पादित ताप अभिप्रेत है।

k) "कुल स्टेशन ताप दर या "जी एस एच आर" से ताप उत्पादन स्टेशन के उत्पादक टर्मिनल्स पर विद्युतीय ऊर्जा के एक के.डब्ल्यू.एच. उत्पादित करने हेतु किलो कैलोरी में ताप ऊर्जा आगत अभिप्रेत है।

l) "संकर सौर्य ताप ऊर्जा संयंत्र" से ऐसा सौर्य ताप ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है जो विद्युत उत्पादन के लिए सौर्य ताप ऊर्जा के साथ ऊर्जा आगत (इनपुट) स्रोतों के अन्य स्वरूपों का उपयोग करता है तथा जिसमें न्यूनतम् 75 प्रतिशत विद्युत सौर्य ऊर्जा घटक द्वारा उत्पादित की जाती है।

m) "भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता" (आई ई जी सी) से अधिनियम की धारा 79 की उप धारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता अभिप्रेत है।

n) "अशक्त ऊर्जा" से, अभिप्राय उत्पादन स्टेशन की यूनिट के वाणिज्यिक परिचालन से पूर्व परीक्षण चालन के दौरान उत्पादित विद्युत से है।

o) ''संस्थापित क्षमता'' या ''आई सी'' से उत्पादन स्टेशन में यूनिटों की नेमप्लेट क्षमता या उत्पादन स्टेशन की क्षमता (उत्पादन टर्मिनल्स पर गिनी गई) का आकलन अभिप्रेत है।

p) ''अन्तः संबंध बिन्दु'' से पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली, यथास्थिति, के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधा का उभयनिष्ठ बिंदु अभिप्रेत होगा।

i. पवन ऊर्जा परियोजनाओं तथा सौर्य फोटो–वाल्टाइक परियोजनाओं के संबंध में अन्तः संबंध बिंदु पूलिंग सब स्टेशन की एच टी दिशा पर आउट गोइंग फीडर पर लाईन आइसोलेटर होगा।

ii. लघु हायड्रो ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन ऊर्जा परियोजनाओं व सौर्य तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में अन्तः संबंध बिंदु ऐसे उत्पादन स्टेशन से आउट गोइंग इवैकुलेशन लाईन पर लाईन आइसोलेटर होगा।

q) ''एम एन आर ई'' से भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अभिप्रेत है।

r) ''गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन'' से वह प्रकिया अभिप्रेत है जिसमें ऊर्जा के एक से अधिक स्वरूप (जैसे वाष्प तथा विद्युत) बायोमास के उपयोग द्वारा अनुकमीय तरीके से उत्पादित किये जाते हैं। बशर्ते कि परियोजना, विनियम 4 (2) (ई) में विनिर्दिष्ट रूप में योग्यता मानदण्ड पूरा करने पर एक सह उत्पादन परियोजना हेतु योग्यता को पूर्ण करे।

s) ''उन्मुक्त अभिगमन'' से, उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुरूप उत्पादन में संलग्न किसी अनुज्ञापी या उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा ऐसी लाइनों या प्रणाली के साथ सम्मिलित सुविधाओं या वितरण प्रणाली या पारेषण लाईनों के उपयोग हेतु भेदभाव रहित उपबंध अभिप्रेत हैं।

t) ''उन्मुक्त अभिगमन विनियम'' से समय–समय पर संशोधित रूप में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (वितरण में उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004, अभिप्रेत है।

u) ''परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय'' या ओ एडं एम व्यय'' से उत्पादन स्टेशन या उसके किसी भाग के परिचालन तथा अनुरक्षण में हुए व्यय अभिप्रेत हैं, इसमें जन शक्ति, मरम्मत, पुर्जे उपभोज्य, बीमा तथा उपरिव्यय के व्यय सम्मिलित हैं।

v) "अधिकतम् व्यस्त समय/कम व्यस्त समय" Peak hours/off peak hours से समय–समय पर आयोग द्वारा निर्णीत रूप में दिन का विशेष समय अभिप्रेत है।

w) "ऊर्जा क्रय करार या पी पी ए" से करार में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु उत्पादक कंपनी तथा वितरण अनुज्ञापी के मध्य ऐसा करार अभिप्रेत है, जिसमें यह उपबंध है कि ऊर्जा के विक्रय हेतु शुल्क, समय–समय पर आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

x) "परियोजना" से एक उत्पादन स्टेशन तथा अन्तः संबंध बिंदु तक निष्क्रमण प्रणाली, यथास्थिति, अभिप्रेत है तथा एक लघु हायड्रो उत्पादन स्टेशन के मामले में इसमें उत्पादन सुविधा के सभी अवयव सम्मिलित हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रभाजित बांध, जल संचालक प्रणाली का ग्रहण, ऊर्जा उत्पादन स्टेशन तथा योजना की उत्पादक यूनिट्स।

y) "नवीकरणीय ऊर्जा" से नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित ग्रिड गुणवत्ता विद्युत अभिप्रेत है।

z) "नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन स्टेशन तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन स्टेशन" से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ग्रिड गुणवत्ता विद्युत उत्पादन करने वाले परम्परागत् उत्पादन स्टेशनों से अन्य ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है।

aa) "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों" से नवीकरणीय स्रोत अभिप्रेत हैं, जैसे लघु हायड्रो, पवन, सौर्य, इनमें संयुक्त चक्र बायोमास, बायो ईंधन सह उत्पादन के साथ समाकलन, शहरी व नगरीय अपशिष्ट तथा एम एन आर ई द्वारा अनुमोदित अन्य स्रोत सम्मिलित हैं।

bb) "लघु हायड्रो संयंत्र" से 25 एम डब्ल्यू तक तथा इसके सहित स्टेशन क्षमता के साथ हायड्रो ऊर्जा परियोजनाएं अभिप्रेत है।

cc) "सौर्य फोटो–वोल्टेइक ऊर्जा" से ऐसी सौर्य फोटो बोल्टेइक ऊर्जा परियोजना अभिप्रेत है, जो फोटो वोल्टेइक प्रौद्यौगिकी के माध्यम से विद्युत में प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है।

dd) "सौर्य ताप ऊर्जा" से ऐसी सौर्य ताप ऊर्जा परियोजना अभिप्रेत है जो या तो लाईन फोकस या बिंदु फोकस सिद्धान्त पर आधारित केन्द्रित सौर्य ऊर्जा प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्युत में परिवर्तन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है।

ee) "विक्रय योग्य ऊर्जा" से गृह राज्य को, यदि है, तो निःशुल्क ऊर्जा देने के पश्चात् विक्रय (एक्स बस) हेतु उपलब्ध ऊर्जा की मात्र अभिप्रेत है।

ff) "राज्य ग्रिड संहित" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86 की उप धारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2007 अभिप्रेत है।

gg) "शुल्क अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर आयोग द्वारा शुल्क अवधरित किया जाना है।

hh) "निष्क्रमण प्रणाली सहित एक उत्पादन स्टेशन की एक यूनिट के संबंध में "उपयोगी जीवन" से ऐसी उत्पादन सुविधा के वाणिज्यिक परिचालन (सी ओ डी) की तिथि निम्नलिखित अवधि अभिप्रेत होगी:–

i. पवन–ऊर्जा, ऊर्जा परियोजना	:	25 वर्ष
ii. बायोमास ऊर्जा परियोजना, गैर–जीवाश्म–ईंधन सह उत्पादन	:	20 वर्ष
iii. लघु हायड्रो संयंत्र	:	35 वर्ष
iv. सौर्य पीवी/सौर्य ताप ऊर्जा संयंत्र"वर्ष"से वित्त वर्ष अभिप्रेत है:		25 वर्ष

(2) पूर्वोक्त को छोड़कर तथा जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो या विषय वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द व पद जो यहॉ परिभाषित नहीं किये गये हैं किंतु अधिनियम, या उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम या शुल्क के अवधारण पर आयोग के विनियमों में परिभाषित किये गये हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या राज्य ग्रिड संहिता या शुल्क के अवधारण पर आयोग के विनियमों में कमशः नियत किया गया है।

अध्याय 2

सामान्य शर्तें

4. गैर परंपरागत/नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित उत्पादन स्टेशन के रूप में अर्ह होने हेतु योग्यता मानदण्ड

(1) इन विनियमों के उद्देश्य हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम एन आर ई) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन पर विचार किया जायेगा तथा ऐसे उत्पादन स्टेशनों को सामूहिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर (आर ई) आधारित उत्पादन स्टेशन व सह उत्पादन स्टेशन के रूप में संदर्भित किया जायेगा।

(2) वर्तमान में, निम्नलिखित स्रोतों तथा प्रौद्यौगिकियों से उत्पादन इन विनियमों के अधीन आये होने के लिये योग्य होंगे।

a) लघु जल (हायड्रो) नवीन संयंत्र तथा मशीनरी का उपयोग कर रहे 25 एम डब्ल्यू से नीचे या उसके बराबर की क्षमता वाले उत्पादन स्टेशन

b) पवन ऊर्जा परियोजना– पवन–स्थल पर अवस्थित 50 मीटर की धुरी ऊँचाई पर नापी 200 वाट/एम2 के न्यूनतम् वार्षिक मध्यवर्ती पवन ऊर्जा धनत्व (डब्ल्यू पी डी) तथा नवीन पवन टर्बाइन जनरेटर्स का उपयोग करने वाले।

c) सौर्य पी वी (फोटो वोल्टायिक) तथा सौर्य ताप परियोजनाएं– एम एन आर ई द्वारा अनुमोदित प्रौद्यौगिकी पर आधारित।

d) बायोमास/बायोगैस ऊर्जा परियोजना– रेन्कीन सायकिल प्रौद्यौगिकी पर आधरित नवीन संयंत्र तथा मशीनरी का उपयोग कर रही तथा बायोमास ईंधन स्रोतों का उपयोग कर रही बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं, बशर्ते कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग वार्षिक आधार पर कुल ईंधन उपभोग के केवल 15 प्रतिशत तक सीमित हो।

e) नवीन संयंत्र तथा मशीनरी का उपयोग कर रहे गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन स्टेशन।

सह–उत्पादन का टॉपिंग सायकल ढंग–कोई सुविधा जिसमें ऊर्जा उत्पादन हेतु गैर–जीवाश्म ईंधन इनपुट का उपयोग किया जाता हो तथा साथ–साथ औद्यौगिक गतिविधियों में उपयोगी ताप अनुप्रयोग हेतु उत्पादित तापीय ऊर्जा का उपयोग होता हो।

परन्तु टॉपिंग सायकल ढंग के अधीन योग्यता प्राप्ति हेतु सह–उत्पादन सुविधा के लिए उपयोगी ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगी तापीय उत्पादन के आधे का योग, सीजन के दौरान सुविधा के ऊर्जा उपयोग के 45 प्रतिशत से अधिक होना चाहिये।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के उद्देश्य हेतु।

(i) 'उपयोगी ऊर्जा उत्पादन' जनरेटर से कुल विद्युतीय उत्पादन है। सह–उत्पादन संयंत्र में ही अनुषंगी उपभोग होगा (उदाहरण के लिए बॉयलर फीड पंप तथा एफ डी/आई डी फैन्स) शुद्ध ऊर्जा उत्पादन की संगणना हेतु कुल उत्पादन में से अनुषंगी उपभोग को घटाना आवश्यक होगा। गणना की सरलता के लिए उपयोगी ऊर्जा उत्पादन को जनरेटर से कुल विद्युत (के डब्ल्यू एच) उत्पादन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(ii) 'उपयोगी तापीय उत्पादन' वह उपयोगी ताप (वाष्प) है जो प्रक्रिया को सह–उत्पादन द्वारा प्रदान किया जाता है।

(iii) सुविधा का 'विद्युत उपभोग' वह उपयोगी विद्युत उत्पादन है जिसकी ईंधन (सामान्यतः खोई या अन्य ऐसे बायोमास ईंधन) द्वारा आपूर्ति की जाती है।

(3) प्रौद्यौगिकी का कोई नवीन स्रोत ''नवीकरणीय ऊर्जा'' के रूप में तभी योग्य होगा जब आयोग द्वारा प्रौद्यौगिकी को एम एन आर ई अनुमोदन पर आधारित अनुमोदित कर दिया हो। इसके अतिरिक्त आयोग, प्रत्येक प्रौद्यौगिकी के लिए पृथक रूप से शुल्क अवधारित करेगा।

5. पर्यावरणीय एवं अन्य अनुमतियॉ

(1) आर ई (नवीकरणीय ऊर्जा) आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स संघ/राज्य सरकार द्वारा नियम उत्सर्जन मानकों के पाबन्द रहेंगे तथा इस उद्देश्य हेतु वे केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारियों से सभी अपेक्षित पर्यावरणीय व प्रदूषण नियंत्रण अनुमतियां प्राप्त करेंगे।

(2) आर ई (नवीकरणीय ऊर्जा) आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह उत्पादन स्टेशन जहॉ आवश्यक हो वहॉ उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूआरईडीए)से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा।

6. उत्पादन स्टेशन के दायित्व एवं कर्तव्य

(1) आर ई (नवीकरणीय ऊर्जा) आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह उत्पादन स्टेशन्स ऐसे स्रोतों से उपलब्ध विद्युत उत्पादन की क्षमताओं तथा इसके अधिकतम् उपयोग को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में अपने उत्पादन संयंत्र की क्षमता इंगित करेंगे। इसके अतिरिक्त, इनका यह भी दायित्व होगा कि आयोग द्वारा अपेक्षित स्वरूप व तरीके से आयोग को उत्पादन संयंत्र को प्रवर्तन में लाने से संबंधित विवरण या अन्य संबंधित सूचना तथा डी पी आर, निर्माण की प्रगति प्रस्तुत करें।

(2) आई आर आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह–उत्पादन स्टेशनः

a) लागत व दक्षता से संबंधित अध्ययन करने के लिए प्राधिकरण/आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में उत्पादन व/या पारेषण से संबंधित तकनीकी विवरण प्रस्तुत करेंगे।

b) उत्पादन, पूर्ण की गई मांग, क्षमता उपलब्धता, क्षमता उप योजन कारक, अनुषंगी उपयोग, विशिष्ट तेल उपयोग या आयोग द्वारा निर्देशित किसी अन्य मानदण्ड इत्यादि के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेंगे।

c) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ एक संप्रेक्षण एवं डाटा अन्तरण प्रणाली स्थापित करेंगे तथा निम्नलिखित के संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा क्षेत्रीय प्रेषण केन्द्र के साथ समन्वय करेंगे।

(i) अनुसूचीकरण।

(ii) ग्रिड के माध्यम से प्रेषित विद्युत की मात्रा के डाटा का अन्तरण।

(iii) आई ई जी सी तथा राज्य ग्रिड संहिता के अनुरूप वास्तविक समय ग्रिड परिचालन तथा विद्युत प्रेषण।

(3) आई ई आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह उत्पादन स्टेशन ग्रिड अनुशासन के पाबंद रहेंगे तथा अपनी प्रणाली व मानव जीवन सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपकरण संस्थापित करेंगे। किसी ग्रिड के विफल होने या ग्रिड में किसी कारण से संयंत्र या इससे संबंधित उप स्टेशन तथा पारेषण लाईन में व्यवधान का नुकसान होने की दशा में ये किसी प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। वे ग्रिड के वि फल होने की स्थिति में या ग्रिड में किसी घटना के कारण व्यवधान या संयंत्र और उससे सम्बन्धित उपकेन्द्र में या पारेषण लाईन में क्षति की स्थिति मं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होगें।

(4) आई ई आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह उत्पादन स्टेशन्स, उत्पादन स्टेशन, उप स्टेशन तथा उनसे जुड़ी समर्पित पारेषण लाइनों को (अनुज्ञप्ति की आवश्यकता बिना) निम्नानुसार स्थापित, परिचालित व अनुरक्षित करेंगे:

a) प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 (बी)) के रूप में विद्युतीय संयंत्रों के निर्माण, विद्युत लाईनों तथा ग्रिड के साथ संयोजिता हेतु तकनीकी मानक।

b) सुरक्षा आवश्यकतायें जैसी की प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हों (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 (सी)) के रूप में विद्युतीय संयंत्रों तथा विद्युत लाइनों के निर्माण, परिचालन तथा अनुरक्षण हेतु सुरक्षा आवश्यकताएं।

c) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का राज्य पारेषण युटिलिटी (विद्युत अधिनियम, 2003) की धारा 73 (डी) द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में पारेषण लाईनों के परिचालन तथा अनुरक्षण हेतु ग्रिड मानक।

d) प्राधिकरण या राज्य पारेषण युटिलिटी (विद्युत अधिनियम, 2003) की धारा 73 (ई) द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में विद्युत की आपूर्ति हेतु मीटरों के संस्थान के लिए शर्तें।

(5) आई ई आधारित उत्पादन केन्द्र तथा सह उत्पादन केन्द्र, समय–समय पर संशोधित रूप में आई ई जी सी तथा राज्य ग्रिड संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) आर ई आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सहायक उत्पादन स्टेशन, उत्पादन कंपनियों के लिए आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों तथा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) उपरोक्त विनियम 2 के उप विनियम (1) के प्रथम व द्वितीय परन्तुक में उपबंधित रूप को छोड़कर, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि पर वर्तमान उत्पादन स्टेशन्स द्वारा हस्ताक्षरित सभी ऊर्जा क्रय करारों का इन विनियमों के अनुसार नवीनीकरण किया जायेगा तथा इस नवीनीकृत ऊर्जा क्रय करार, आर ई आधारित उत्पादन स्टेशनों तथा सह–उत्पादन स्टेशनों के संपूर्ण जीवन काल हेतु विधिमान्य होंगे।

(8) आर ई आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स, संसाधनों का मितव्ययी उपयोग, उत्तम प्रदर्शन तथा सदैव इष्टतम् निवेश सुनिश्चित करेंगे तथा ऊर्जा एक विशेष स्रोत पर लागू परिचालनात्मक मानदण्डों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशन के मामले में अनुषंगी उपभोग, तापदर, ईंधन खपत, क्षमता उपलब्धता, क्षमता उपयोगिता कारक इत्यादि, जो विद्युत के विभिन्न नवीकरणीय स्रोतों हेतु शुल्क के निर्धारण हेतु समय–समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट/अवधारित किये जायें।

(9) आर ई आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, राज्य के भीतर पारेषण/वितरण प्रणाली से संबंधित नियोजन व सामंजस्य के उद्देश्य हेतु राज्य पारेषण युटिलिटी/वितरण अनुज्ञापी के साथ समन्वय करेंगे।

(10) आर ई आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स, जैसा कि समय–समय पर आयोग निर्देशित/विनिर्दिष्ट किया गया हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को फीस एवं प्रभार का भुगतान करेंगे।

(11) आर ई आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इनको जारी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए पाबंद होंगे, ऐसा न करने पर प्रत्येक ऐसे अनानुपालन हेतु संयंत्र अधिकतम् रू0 5.00 लाख के दंड का उत्तरदायी होगा।

(12) विद्युत की गुणवत्ता या ग्रिड के निरापद, सुरक्षित तथा एकीकृत परिचालन के संदर्भ में या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किसी निदेश के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में मामला न्यायनिर्णयन हेतु आयोग को संदर्भित किया जायेगा।

7. ऊर्जा का विक्रय

(1) सभी आर ई आधारित उत्पादन केन्द्र स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स को अपने स्वयं के लिए अपेक्षित क्षमता से अधिक ऊर्जा को, वितरण अनुज्ञापी को या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड

को आयोग द्वारा अवधारित दरों पर या किसी उपभोक्ता को (बशर्ते कि ऐसे उपभोक्ता को उन्मुक्त अभिगमन विनियमों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति प्राप्त हो) या राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को आपसी सहमति से तय दरों पर राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति होगी बशर्ते कि राज्य के बाहर ऐसा विक्रय राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी नीति या किसी व्यक्ति के साथ उत्पादन कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित विधिक रूप से प्रवर्तनीय वर्तमान करार के किसी उपबंध का उल्लंघन न करता हो।

(2) वितरण अनुज्ञापी, उक्त आर ई आधारित उत्पादन स्टेशनों तथा सह–उत्पादन स्टेशनों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर इन विनियमों तथा अन्य विनियमों व अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुरूप ऊर्जा क्रय करार करेगा। वितरण अनुज्ञापी, उत्पादन कंपनी द्वारा दिये गये प्रस्ताव से दो माह के भीतर ऊर्जा क्रय करार पर हस्ताक्षर करेगा, ऐसा न होने पर उत्पादन कंपनी उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हेतु आयोग से संपर्क कर सकती हैं।

(3) वितरण अनुज्ञापी, इन विनियमों तथा समय–समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार संचालन) विनियम, 2001 में विनिर्दिष्ट रूप व तरीके से उत्पादन स्टेशन के साथ किये गये ऊर्जा क्रय करार के अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा।

8. उन्मुक्त अभिगमन

(1) सभी आर0ई0 आधारित उत्पादन स्टेशनों व सह उत्पादन स्टेशनों को बंधित उपयोग हेतु तथा विनियम 7 (1) के अधीन आने वालों को राज्य पारेषण/वितरण में उन्मुक्त अभिगमन अनुमोदित होगी जो कि इन विनियमों के उपबंधों के अधीन होगी।

(2) **राज्य पारेषण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमनः**

कोई व्यक्ति, जिसने आर ई आधारित उत्पादन स्टेशन या सह–उत्पादन स्टेशन स्थापित किया है, उसे विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित प्रकार से औसत पारेषण हानियों के समायोजन तथा पारेषण प्रभार के भुगतान की शर्त के अधीन पारेषण लाईनों तथा संबंधित सुविधाओं के उपयोग द्वारा अपने संयंत्र से विद्युत ले जाने के लिए राज्य पारेषण प्रणाली में भेदभाव रहित उन्मुक्त अभिगमन का अधिकार होगा। बशर्ते कि उन्मुक्त अभिगमन अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता जैसा कि राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा निर्धारित किया गया हो, का विषय होगा।

(3) **वितरण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन**

a) राज्य के भीतर विद्युत के विक्रय हेतु राज्य वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली तक उन्मुक्त अभिगमन ऐसे आर ई आधारित उत्पादन स्टेशनों व सह–उत्पादन

स्टेशनों को होगी जिन्होंने राज्य के भीतर किसी उपभोक्ता को ऊर्जा विक्रय करने का करार किया हुआ है या जिन्हें स्वयं अपने बंधित उपयोग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है।

b) राज्य से बाहर विद्युत के विक्रय हेतु आर ई आधारित उत्पादन कंपनियों तथा सह–उत्पादन कंपनियों को राज्य वितरण प्रणाली में मुक्त उपगमन प्राप्त होगा।

बशर्ते कि राज्य वितरण अनुज्ञापी अपनी प्रणाली के द्वारा राज्य से बाहर ऐसी ऊर्जा भेजने के लिए उक्त उत्पादन स्टेशन के साथ सहमत हो।

c) राज्य वितरण प्रणाली तक ऐसी उन्मुक्त अभिगमन, विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार अवधारित प्रकार से व्हीलिंग प्रभार के भुगतान तथा औसत वितरण हानियों के प्रकार में समायोजन के अधीन होगी।

d) राज्य वितरण प्रणाली तक ''उन्मुक्त अभिगमन'' राज्य वितरण प्रणाली में अधिशेष वितरण क्षमता की उपलब्धता के अधीन होगी।

(4) यदि राज्य पारेषण प्रणाली या राज्य वितरण प्रणाली में अधिशेष क्षमता की उपलब्ध पर कोई प्रश्न उठता है तो मामले का निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय 3

नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर पी ओ)

9. 'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन तथा उत्पादन' से वितरण अनुज्ञापियों द्वारा क्रय की जाने वाली विद्युत की न्यूनतम् मात्रा।

(1) ऊर्जा के नवीकरणीय तथा गैर परम्परागत् स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा शुल्क नीति के उपबंधों के अनुरूप राज्य के सभी वर्तमान व भविष्य के वितरण अनुज्ञापी, बंधित उपयोगकर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन वाले ग्राहक जिन्हें इसमें इसके आगे ''आबद्ध एन्टिटी'' के रूप में संदर्भित किया गया है, विनियम 4 के अधीन परिभाषित रूप में योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, निम्नानुसार स्वयं के उपभोग के लिए अपनी कुल विद्युत आवश्यकताओं का न्यूनतम् प्रतिशत प्राप्त करने के लिए आबद्ध होंगे।

यह आबद्ध एन्टिटीज़ का नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर पी ओ) कहलायेगा।

वर्ष	नवीकरणीय क्रय दायित्व गैर–सौर	नवीकरणीय क्रय दायित्व सौर
2010–11	4.00%	0.000%
2011–12	4.50%	0.025%
2012–13	5.00%	0.050%

ऊपर अनुबद्ध प्रतिशत आर पी ओ, स्वंय के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान आबद्ध एन्टिटी द्वारा सभी स्रोतों से क्रय की गई/उत्पादित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन तथा उत्पादन से क्रय की न्यूनतम् मात्रा व्यक्त करती है।

(2) तथापि, आयोग समय–समय पर इन विनियमों की प्रयोज्यता अवधि के भीतर, इन स्रोतों के वास्तविक विकास पर आधारित, आबद्ध एन्टिटीज द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर पी ओ) की मात्रा की समीक्षा कर सकता है।

(3) आयोग, अनुवर्त्ती तिथि पर क्रय की अधिकतम् प्रतिशत सीमा तय कर सकता है, यदि आयोग की दृष्टि में, उपभोक्ता शुल्क पर नवीकरणीय ऊर्जा के आज्ञापक क्रय प्रभाव को सीमाबद्व करने के लिए ऐसा करना समीचीन है।

(4) नवीन स्रोतों की संविदा करते समय तथा अधिकतम सीमा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने के मामले में उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि को प्राथमिकता दी जायेगी।

(5) इस आर पी ओ संरचना के उद्देश्य हेतु, प्रत्येक आबद्ध एंटिटी के लिये, स्वयं के उपभोग का अर्थ होगा, अनुज्ञाप्तिधारियों या बाहरी उपभोक्ताओं के मध्य विद्युत के किसी परस्पर विक्रय को छोड़कर आपूर्ति के उद्देश्य से सभी स्रोतों से आबद्ध एन्टिटी द्वारा उत्पादित/क्रय की गई कुल ऊर्जा।

10. सभी प्रकार के आर ई स्रोतों की संतुलित संवृद्धि

(1) गैर सौर आर ई स्रोतों के लिये विनिर्दिष्ट कुल प्रतिशत में किसी विशेष स्रोत या प्रौद्योगिकी के लिए न्यूनतम या अधिकतम कोई विशिष्ट प्रतिशत नहीं होगी। तथापि, आयोग, बाद में प्रत्येक स्रोत की वास्तविक संवृद्धि या किसी अन्य प्रभावकारी कारक पर विचार करने के पश्चात् इसे सम्मिलित कर सकता है।

(2) यूआईईडीए सभी प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का संतुलित तरीके से विकास सुनिश्चित करेगा तथा वितरण अनुज्ञापी, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा, यदि कोई है, के अधीन ऐसी सभी परियोजनाएं से उपयोग सुनिश्चित करेगा ताकि राज्य के भीतर उनकी पूर्ण क्षमता का समुपयोग हो सके।

अध्याय–4

शुल्क– सामान्य सिद्धान्त

11. शुल्क

(1) इन विनियमों के अधीन अवधारित शुल्क केवल वितरण अनुज्ञापियों तथा स्थानीय ग्रामीण ग्रिड्स को विद्युत के विक्रय हेतु लागू होंगे।

(2) आरई आधारित उत्पादक स्टेशन तथा सह–उत्पादक स्टेशन, सिवाय उनके जो विनियम–2 के उप विनियम (1) के परन्तुक 1 व 2 के अधीन उल्लिखित हैं, विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर अवधारित रूप से सामान्य शुल्क चुन सकते हैं, या ''परियोजना विशिष्ट शुल्क'' में अवधारण हेतु आयोग के सामने याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु आर ई आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह–उत्पादन स्टेशन, प्रवर्तन में आने की तिथि के 3 माह पहले या इन विनियमों के जारी होने के एक माह पश्चात्, दोनों में से जो बाद में हो, पर वितरण अनुज्ञापी को अपना विकल्प देंगे। एक बार प्रयोग किये गये विकल्प को पीपीए की विधिमान्य अवधि के दौरान बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) निम्नलिखित मामलों में, प्रत्येक मामले में पृथक रूप से परियोजना विशिष्ट शुल्क, आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा :

a) अध्याय–5 के अधीन विभिन्न प्रौद्यौगिकियों हेतु विनिर्दिष्ट रूप से मानकीय पूंजी लागत के स्थान पर वास्तवित पूंजी लागत के आधार पर अपना शुल्क अवधारण चुनने वाली परियोजनाओं के लिए स्थिर प्रभारों की वसूली हेतु सीयूएफ, अनुमोदित डीपीआर में परिकल्पित रूप से या सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु अध्याय–5 के अधीन विनिर्दिष्ट मानकीय सीयूएफ, दोनों में से जो अधिक हो, लिया जायेगा;

b) नगरपालिका ठोस अवशिष्ट परियोजनाएं;

c) सौर पी वी तथा सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाएं, यदि कोई परियोजना विकासक परियोजना विशिष्ट शुल्क चुनता है;

d) संकर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र;

e) बायोमेथानेशन प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास परियोजना या वाटर कूल्ड कन्डेन्सर के साथ रेन्कीन चक्र प्रौद्योगिकी प्रयोज्यता पर आधारित से अन्य;

f) पुराने संयंत्र तथा मशीनरी या उपकरण वाली परियोजनाएं;

g) एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुमोदित कोई अन्य नवीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी बशर्ते कि आयोग परियोजना विशिष्ट शुल्क निर्धारित करते समय अनुमोदित शुल्क का अवधारण विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए इन विनियमों के अध्याय 4 व 5 के उपबंधों द्वारा दिशा निर्देशित होगा।

12. नियंत्रण अवधि या समीक्षा अवधि

(1) इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि या समीक्षा अवधि 31.03.2013 तक होगी व वित्त वर्ष 2009–10 आधार वर्ष तथा वित्त वर्ष 2010–11 नियन्त्रण अवधि का प्रथम वर्ष होगा।

परन्तु सौर पीवी तथा सौर तापीय परियोजनाओं हेतु तलचिह्न पूंजी लागत की आयोग द्वारा वार्षिक रूप से समीक्षा की जायेगी।

आगे यह भी कि नियंत्रण अवधि के दौरान प्रवर्तन में लायी गई आरई परियोजनाओं हेतु उन विनियमों के अनुसार अवधारित शुल्क का विनियम 3(1)(एचएच) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप में सम्पूर्ण शुल्क अवधि (संयंत्र का उपयोगी जीवनकाल) हेतु लागू होना जारी रहेगा।

13. शुल्क एवं पीपीए अवधि

(1) नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा परियोजनाओं हेतु शुल्क अवधि, परियोजना के उपयोगी जीवन के बराबर होगी।

(2) इन विनियमों के अधीन शुल्क अवधि पर विचार, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से किया जायेगा।

(3) संम्पूर्ण शुल्क अवधि हेतु पीपीए का निष्पादन वितरण अनुज्ञापी के साथ करना आवश्यक होगा।

14. परियोजना विशिष्ट शुल्क के अवधारण हेतु याचिका एवं कार्यवाही

(1) आरई आधारित उत्पादन स्टेशन्स् तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशन्स् ऐसे प्रारूप तथा ऐसी सूचना के साथ जैसी कि समय–समय पर आयोग द्वारा अपेक्षित हो, आरई आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स की पूर्ण हो चुकी ईकाईयों के सम्बन्ध में वास्तवित पूंजी लागत पर आधारित परियोजना विशिष्ट शुल्क निर्धारित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

परन्तु, परियोजना विशिष्ट शुल्क अवधारण हेतु आरई आधारित उत्पादन स्टेशन्स् तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स अपनी याचिका के साथ पूंजी लागत मदों का ब्यौरा (ब्रेक अप) प्रस्तुत करेंगे।

(2) शुल्कों के अन्तिम निर्धारण तक आरई आधारित उत्पादन स्टेशन्स या सह–उत्पादन स्टेशन्स या तो सामान्य शुल्क को अनंतिम शुल्क के रूप में स्वीकार कर सकते हैं या आवेदन करने की तिथि अथवा आवेदन करने से पहले की तिथि तक हुए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा

यथा विधि संपरीक्षित व प्रमाणित, वास्तविक पूंजीगत व्यय पर आधारित परियोजना के पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि से पहले ही अनंतिम शुल्क के निर्धारण हेतु आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा अवधारित अनंतिम शुल्क उत्पादन स्टेशन की सम्बन्धित यूनिट की वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से प्रभावित किये जा सकते है।

परन्तु आरई आधारित उत्पादन स्टेशन्स् तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स् के लिए उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि तक हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय पर आधारित अंतिम शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत संपरीक्षित व प्रमाणित लेखों की प्रतियों के साथ सीओडी से 18 माह के भीतर करना आवश्यक होगा।

(3) उत्पादन कम्पनी, शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ उतने वर्षों के लिए विधिवत विधिमान्य प्रक्षेपित वार्षिक डाटा फाईल करेगी जितने वर्षों के लिए वह शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है।

(4) शुल्क के अवधारण हेतु याचिका के साथ, समय–समय पर संशोधित यूईआरसी (शुल्क व जुर्माना) विनियम, 2002 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा किया जायेगा। तथा इसके साथ निम्नलिखित को भी संलग्न किया जायेगा :–

a) इन विनियमों में संलग्नित प्रपत्र 1.1, 1.2, 2.1 तथा 2.2 के अनुसार सूचना जैसी कि स्थिति हो।

b) तकनीकी एवं परिचालक विवरण, स्थल विशिष्ट पहलू, पूंजी लागत हेतु परिक्षेत्र तथा वित्त पोषण योजना इत्यादि का विवरण देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;

c) जिस अवधि हेतु शुल्क अवधारण अपेक्षित है उसके लिए प्रत्याशित व्यय तथा सभी लागू निबंधनों एवं शर्तों का विवरण।

d) केन्द्र सरकार व/या राज्यसरकार से प्राप्त, प्राप्य या प्राप्ति हेतु अभिग्रहित किसी सहायिकी तथा प्रोत्साहन की गणना का पूर्ण विवरण। इस विवरण में सहायिकी तथा प्रोत्साहन का विचार किये बिना गणना किया गया प्रस्तावित शुल्क सम्मिलित होगा ;

e) कोई अन्य जानकारी जिसकी आयोग याचिकादाता से अपेक्षा करें ;

(5) शुल्क के अवधारण हेतु कार्यवाही यूईआरसी(कारबार का संचालन) विनियम, 2004 के अनुसार होगी।

15. शुल्क संरचना

(1) नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु शुल्क एकल भाग शुल्क (रू0/केडब्लूएच में) तथा एक्स बस, अर्थात विनियम 3(1)(पी) में परिभाषित रूप में अन्तः संयोजन बिंदु पर परिवर्तन हानियों तथा अनुषंगी उपभोग से पश्चात् होगा।

परन्तु, बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन जैसे ईंधन लागत घटकों वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए दो घटक, स्थिर लागत घटक तथा ईंधन लागत घटक के साथ एकल भाग शुल्क अवधारित किया जायेगा।

(2) शुल्क में निम्नलिखित स्थिर लागत घटकों का समावेश होगा :–

a) इक्विटी पर प्रतिलाभ ;

b) ऋण पूंजी पर ब्याज ;

c) अवक्षय ;

d) कामकाजी पूंजी पर ब्याज ;

e) परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय ;

(3) सामान्य शुल्क प्रत्येक प्रकार के नवीकरणीय स्रोत तथा जिनके लिए इन विनियमों में मानक विनिर्दिष्ट किये गये है ऐसी प्रत्येक प्रकार की नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के लिए पृथक रूप से अवधारित किये जायेगें।

(4) सामान्य शुल्क, प्रत्येक प्रकार के स्रोत हेतु इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों तथा संयंत्र में प्रवर्तन मे आने के वर्ष के अनुसार मानकीय मानदण्डों पर आधारित होंगे। इन विनियमों के अधीन आरई आधारित उत्पादन स्टेशनों तथा सह उत्पादन स्टेशनों के सम्बन्ध में शुल्क सम्पूर्ण उत्पादन स्टेशन हेतु लागू होगा।

परन्तु, भिन्न–भिन्न वर्षों में प्रवर्तन में आई एक से अधिक यूनिटों वाले संयंत्र से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क, भिन्न–भिन्न वर्षों में प्रवर्तन में आई यूनिटों की क्षमता के भारित औसत के आधार पर होगा।

(5) आरई आधारित उत्पादन स्टेशन्स् तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स्, प्रथम 10 वर्षों के लिए स्तरीकृत आधार पर तथा परियोजना के शेष जीवन हेतु स्तरीकृत शुल्क या परियोजना के जीवन हेतु स्तरीकृत शुल्क निर्धारण या शुल्क अवधि हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए शुल्क अवधारण का विकल्प चुन सकते है।

परन्तु, दो घटकों के साथ एकल भाग शुल्क (रू0/केडब्लूएच में) वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्यौगिकियों के लिए स्थिर लागत घटक हेतु परियोजना के प्रवर्तन में आने के वर्ष पर विचार करते हुए स्तरीकृत आधार पर शुल्क अवधारित किया जायेगा।

(6) स्तरीकृत शुल्क संगणना के उद्देश्य हेतु पूंजी की भारित औसत लागत के समानक छूट कारक पर विचार किया जायेगा।

(7) पूंजी की भारित औसत लागत के अवधारण हेतु, इक्विटी पर टैक्स पूर्व प्रतिफल, लागू दरों पर कर हेतु समायोजित किया जायेगा।

(8) अन्य गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन तथा नवीकरणीय स्रोतों व/या प्रौद्योगिकियों, जो इस विनियमों में नहीं आती, के लिए शुल्क निर्धारण प्रत्येक मामले में पृथक रूप से किया जायेगा, जहां आयोग, जहां तक संभव हो, सीईआरसी, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा शुल्क नीति द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्वान्तों तथा कार्यप्रणालियों, यदि कोई हों, से मार्गदर्शित होगा, उपयोग किये गये नवीकरणीय स्रोतों तथा प्रौद्योगिकी के विशिष्ट स्वभाव को स्थान देने के लिए लिखित में कारण बता कर आयोग उपरोक्त से विचलित हो सकता है।

(9) शुल्क के मानकीय होने पर कार्य निष्पादन या अन्य कारणों से कोई कमी या वृद्धि आरई आधारित स्टेशनों या सह–उत्पादन स्टेशनों द्वारा वहन/प्रतिधारित की जायेगी, तथा

अतिरिक्त पूंजीकरण सहित किसी मानदण्ड का सहीकरण किसी भी कारण से शुल्क की विधिमान्यता अवधि में नहीं किया जायेगा।

(10) एक कालन (Synchronization) तथा यूनिट (Interim Power) के प्रवर्तन में आने की अवधि के मध्य विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क, परियोजना के उपयोगी जीवन हेतु सामान्य शुल्क के स्थित लागत घटक के 50 प्रतिशत के बराबर होगा। तथापि, बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन जैसे ईंधन लागत घटकों वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां भी स्थिर लागत घटक के 50 प्रतिशत के अतिरिक्त उस वर्ष हेतु सामान्य शुल्क का ईंधन लागत घटक पाने की हकदार होगी। अशक्त ऊर्जा (Interim Power) से जनित राजस्व का उपयोग परियोजना की पूंजीलागत को घटाने के लिए किया जायेगा जो आयोग द्वारा अवधारित सामान्य शुल्क को प्रभावित नहीं करेगा, किन्तु यह परियोजना विशिष्ट शुल्क हेतु सुसंगत होगा।

16. वित्तीय सिद्धान्त

(1) **पूंजी लागत**

a) पूंजी लागत हेतु मानक जैसे कि अध्याय–5 में प्रौद्यौगिकी विशिष्ट प्राविधानों में विर्निर्दिष्ट किये गये है, अध्याय–5 में पश्चात्वर्ती प्रौद्योगिकी विशिष्ट उपबन्धों में विनिर्दिष्ट पूंजी लागत हेतु मानकों में संयंत्र व मशीनरी, सिविल कार्य व प्रवर्तन में लाना, वित्त पोषण, अन्तः संयोजन के बिन्दु तक निष्क्रमण संरचना तथा निर्माण की

अवधि में ब्याज (अर्थात जिस में उत्पादन स्टेशन संयोजित है उस वितरण अनुज्ञापी या पारेषण क निकटतम उप–स्टेशन तक अन्तः संयोजन के बिन्दु से समर्पित लाईन व सहायक उपकरण की लागत इसमें सम्मिलित नहीं है) सहित सभी पूंजीगत कार्य इसमें सम्मिलित है।

b) यदि उत्पादक, पारेषण या वितरण अनुज्ञापी के उस निकटतम उप–स्टेशन तक अन्तः संयोजन के बिन्दु से निष्क्रमण सरंचना का निर्माण चुनता है जिस से उत्पादन स्टेशन संयोजित है तो उसे अन्तः संयोजन के बिन्दु पर सामान्य शुल्क अवधारण के अलावा 5 पैसा/यूनिट का मानकीय स्वीकृत शुल्क अनुमोदित किया जायेगा। निष्क्रमण संरचना हेतु उक्त मानकीय शुल्क, नीचे दी गयी मानकीय लागत के अनुसार उत्पादन स्टेशनों की भिन्न–भिन्न क्षमताओं के लिए 10 किमी0 की मानकीय लाईन लम्बाई की लागत (टर्मिनल उपकरणों की लागत सहित) पर विचार कर प्राप्त की गई है :–

i.	5 एमडब्लू तक 11 केवी एस/सी	–रू0 44 लाख
ii.	5 एमडब्लू से ऊपर व 13 एम डब्लू तक, 33 केवी एस/सी	–रू0 85 लाख
iii.	13 एमडब्लू से ऊपर व 25 एमडब्लू तक, 33 केवी एस/सी या डी सी	–रू0170 लाख

(2) **ऋण इक्विटी अनुपात**

सामान्य तथा परियोजना विशिष्ट शुल्क हेतु ऋण–इक्विटी अनुपात निम्नलिखित अनुसार होगा :

a) सामान्य शुल्क हेतु ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 होगा।

b) परियोजना विशिष्ट शुल्क हेतु निम्नलिखित उपबंध लागू होगें :

यदि वास्तवित रूप से परिनियोजित इक्विटी, पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से अधिक है तो 30 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी को मानकीय ऋण माना जायेगा।

परन्तु जहां वास्तविक रूप में परियोजित इक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से कम है वहां शुल्क निर्धारण हेतु वास्तवित इक्विटी ली जायेगी।

आगे यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी प्रत्येक निवेश की तिथि पर भारतीय रूपये में अभिहित होगी।

आगे यह भी कि विनियम 25 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक एमएनआरई से उपलब्ध सहायिकी, रहकर ऋण के पूर्व भुगतान के लिए उपयोग की गई समझी जायेगी, बचा हुए ऋण तथा 30 प्रतिशत इक्विटी को प्रशुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया जायेगा।

आगे यह और कि यह मान लिया जायेगा कि मूल चुकौती इस भुगतान के द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

परन्तु यह कि मूल पुर्नभुगतान इस पूर्व भुगतान से प्रभावित नहीं होगा।

(3) सहायिकी की राशि, एमएनआरई की लागू नीति के अनुसार प्रत्येक नवीकरणीय स्रोत हेतु समझी जायेगी। यदि सहायिकी की राशि में एमएनआरई द्वारा कमी की जाती है तो शुल्कों में आवश्यक सुधार आयोग द्वारा किया जायेगा, बशर्ते कि सहायिकी की राशि में कमी उत्पादक की अदक्षता के कारण न हुई हो।

17. ऋण पूँजी पर ब्याज

(1) विनियम 16(2) में इंगित तरीके से ज्ञात किया गया ऋण, ऋण पर ब्याज हेतु गणना के लिए कुल मानकीय ऋण समझा जायेगा। प्रत्येक वर्ष को पहली अप्रैल को मानकीय ऋण बकाया, कुल मानकीय ऋण से पिछले वर्ष से 31 मार्च तक संचयी चुकौती घटा कर निकाला जायेगा।

(2) शुल्क की संगणना के उद्देश्य से मानकीय ब्याज दर, नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले पूर्व पॉच वर्षों के दौरान प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की औसत मूल उधार दर (पी एल आर) (25 आधार बिन्दुओं तक पूर्णांकित) धनात्मक 150 आधार बिंदु जो 13.25 प्रतिशत होता है, के रूप में मानी जायेगी।

(3) उत्पादन कंपनी द्वारा उपयोग की गई किसी अधिस्थगन अवधि के होते हुए भी ऋण की अदायगी परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से समझी जायेगी तथा यह अनुमोदित वार्षिक अवक्षय के बराबर होगी।

(4) ऋण अदायगी की मानक अवधि 10 वर्ष ली जायेगी।

18. अवक्षय

(1) शुल्क के उद्देश्य हेतु अवक्षय की संगणना निम्नलिखित तरीके से की जायेगी:

a) अवक्षय के उद्देश्य हेतु मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत रूप में परियोजना की पूँजी लागत होगी।

b) आस्ति का उद्धारण मूल्य 10 प्रतिशत समझा जायेगा तथा अवक्षय आस्ति की पूँजी लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमोदित होगा।

c) प्रतिवर्ष अवक्षय, ऋण अवधि पर विभेदक अवक्षय दृष्टिकोण तथा 'सरल रेखा विधि' पर संगणित उपयोगी जीवन पर आधारित होगा। सामान्य शुल्क हेतु शुल्क अवधि

के प्रथम 10 वर्षों के लिए अवक्षय दर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी तथा शेष अवक्षय 11 वें वर्ष से आगे परियोजना के शेष उपयोगी जीवन में विस्तृत होगा।

d) अवक्षय, वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित होगा।

परन्तु वर्ष से भाग के लिए आस्ति के वाणिज्यिक परिचालन के मामले में अवक्षय यथानुपात आधार पर प्रभारित होगा।

(2) उत्पादक को प्राप्त पूंजी सहायक को ह्रास सम्बन्धी उद्देश्यों हेतु पूंजी लागत से घटाया नहीं जायेगा। हालॉकि उत्पादक द्वारा नवीकरण या प्रतिस्थापना या अतिरिक्त पूंजीगत कार्य को उप्लब्ध ह्रास द्वारा किया जायेगा।

19. इक्विटी पर प्रतिफल

(1) इक्विटी पर मूल्य आधार, विनियम 16(2) के अधीन अवधारित किये अनुसार होगा।

(2) इक्विटी पर प्रतिफल होगा:

a) प्रथम 10 वर्षों के लिए कर पूर्व 19 प्रतिशत प्रति वर्ष।

b) 11 वें वर्ष से आगे कर पूर्व 24 प्रतिशत प्रति वर्ष।

20. कामकाजी, पूॅजी पर ब्याज

(1) पवन ऊर्जा परियोजनाओं, लघु हायड्रो ऊर्जा, सौर पी वी तथा सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में कामकाजी पूॅजी आवश्यकता की संगणना निम्नलिखित के अनुसार की जायेगी:

a) एक माह हेतु परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय।

b) मनकीय सी इ एफ पर परिकल्पिक विद्युत के विक्रय हेतु विद्युत प्रभार के 2 (दो) माह के बराबर प्राप्ति योग्य।

c) अनुरक्षण–स्पेयर्स, परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के 15प्रतिशत की दर से।

(2) बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में कामकाजी पूॅजी आवश्यकता की संगणना निम्नलिखित के अनुसार की जायेगी।

a) मानकीय सी यू एफ के समानक चार माह हेतु ईंधन लागतें।

b) एक माह हेतु परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय।

c) लक्ष्य सी यू एफ पर परिकलित विद्युत के विक्रय हेतु स्थिर व परिवर्ती प्रभारों के 2 (दो) माह के समानक प्राप्ति योग्य।

d) परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स।

(3) कामकाजी पूँजी पर ब्याज, नियन्त्रण अवधि से ठीक पूर्व, पिछले पॉच वर्षों के दौरान प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) की औसत भारतीय स्टेट बैंक पी एल आर (25 आधार बिंदु तक पूर्णीकृत) के समानक ब्याज दर धनात्मक 100 आधार बिदुं जो 12.75 प्रतिशत होता है, के समानक ब्याज पद पर होगा।

21. परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय, भिन्न–भिन्न प्रौद्यौगिकियों के लिए अध्याय 5 के अधीन विनिर्दिष्ट आधार वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु मानकीय ओ एण्ड एम व्ययों के आधार पर अवधारित किये जायेंगे। इन व्ययों में, प्रवर्तन में आने के वर्ष की अवधि में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय ज्ञात करने के लिए, 5.72 प्रतिशत की दर से वृद्वि/कमी की जायेगी।

(2) प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु स्वीकृत मानकीय परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों में, शुल्क अवधि के भिन्न–भिन्न वर्षों के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय अवधारित करने के लिए 5.72 प्रतिशत की दर से वृद्वि की जायेगी।

22. सी डी एम लाभ

अनुमोदित सी डी एम परियोजना से कार्बन क्रेडिट प्राप्तियां उत्पादन कंपनी तथा संबंधित लाभार्थियों के मध्य निम्नलिखित तरीके से बांटी जायेंगी–

a) सी डी एम लाभ की कुल प्राप्तियों का 100 प्रतिशत, उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात् पहले वर्ष में परियोजना विकासक द्वारा लिया जायेगा।

b) दूसरे वर्ष में, लाभार्थियों का हिस्सा 10 प्रतिशत होगा जिसमें प्रगामी रूप से प्रतिवर्ष तब तक वृद्वि की जायेगी जब कि कि यह 50 प्रतिशत तक न पहुँच जाये। उसके पश्चात् प्राप्तियों को उत्पादन कंपनी तथा लाभार्थियों के मध्य बराबर अनुपात में बांटा जायेगा।

c) स्तरीकृत या वार्षिक शुल्क के अवधारण हेतु सी डी एम लाभों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्राप्तियों की कुल राशि, उपरोक्त उपबंधों के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रमाणीकरण के साथ इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी के पास उत्पादक कंपनी द्वारा सीधे जमा की जायेगी।

23. छूट

प्रस्तुतिकरण पर प्रत्यय पत्र के माध्यम से बिलों के भुगतान हेतु 2 प्रतिशत की छूट अनुमोदित होगी। यदि उत्पादन कंपनी द्वारा भुगतान प्रव्यय पत्र के बदले अन्य किसी माध्यम से किंतु प्रस्तुतिकरण के एक माह के भीतर किया जाता है तो 1 प्रतिशत की छूट अनुमोदित होगी।

24. विलंबित भुगतान अधिभार

यदि बिलों का भुगतान, बिल की तिथि से 60 दिनों से अधिक की अवधि तक विलंबित होता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा 1.25 प्रतिशत दर से विलंबित भुगतान अधिभार लगाया जायेगा।

25. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सहायिकी या प्रोत्साहन

यदि उत्पादन कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संयत्रों के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी सहायिकी का प्रोत्साहन, जिसमें त्वरित अवक्षय लाभ भी सम्मिलित हैं, का उपयोग कर रही है तो इन विनियमों के अधीन शुल्क का अवधारण करते समय आयोग इस का विचार करेगा।

परन्तु शुल्क अवधारण हेतु, एम एन आर ई की लागू योजना'के अनुसार प्रवर्तन में आने वाले वित्त वर्ष हेतु पूँजीगत सहायिकी से केवल 75 प्रतिशत का ही विचार किया जायेगा। आगे यह भी कि शुल्क अवधारण के उद्देश्य हेतु त्वरित अवक्षय, यदि उपयोग किया गया हो तो इस कारण आय कर लाभ अभिनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों का विचार किया जायेगा।

a) लाभ का निर्धारण, स्वीकृत पूँजी लागत, आयकर अधिनियम के अधीन सुसंगत उपबंधों के अनुसार त्वरित अवक्षय दर तथा निगमित आय कर दर पर आधारित होगा।

b) राजकोषीय वर्ष के द्वितीयार्ध की अवधि में आर ई परियोजनाओं का पूँजीकरण।

c) यह माना जायेगा कि उत्पादन कंपनी त्वरित अवक्षय के लाभ का उपयोग करेगी तथा वितरण अनुज्ञापी की संतुष्टि हेतु यह स्थापित करने का दायित्व कि वह इस लाभ की हकदार नहीं है, ऐसी उत्पादन कंपनी का होगा। इस संबंध में लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त माना जायेगा।

परन्तु आगे यह कि जहॉ किसी विशिष्ट प्रकार की नवीकरणीय प्रौद्योगिकी हेतु केन्द्र सरकार या राजय सरकार ने कोई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की हुई है वहॉ ऐसी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन स्टेशन्स, ऐसी योजना का लाभ प्राप्त किये माने जायेंगे तथा उनके शुल्क प्रति यूनिट जी बी आई की राशि द्वारा स्वतः घटे हुए माने जायेंगे।

26. कर एवं शुल्क (Duties)

इन विनियमों के अधीन अवधारित शुल्क में, समुचित सरकार द्वारा उद्ग्रहित, आय पर प्रत्यक्ष सम्मिलित होंगे किंतु अन्य कर तथा शुल्क सम्मिलित नहीं होंगे। सामान्य शुल्क अवधारण हेतु प्रथम 10 वर्षो के लिए कर की दर 18 प्रतिशत तथा शेष अवधि के लिए 30 प्रतिशत का विचार किया गया है, इसके साथ 10 प्रतिशत अधिभार तथा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर होगा।

परन्तु समुचित सरकार द्वारा उद्ग्रहीत प्रत्यक्ष करों से अन्य कर तथा शुल्क वास्तव में हुए आधार पर पास थ्रू के रूप में अनुमोदित होंगे।

27. सी यू एफ से अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन

संपूर्ण स्थिर लागत वसूल हो जाने पर, सी यू एफ से अधिक उत्पादन हेतु शुल्क, आयोग द्वारा अवधारित सामान्य शुल्क पर वसूली हेतु अनुमोदित होगा।

28. आर ई स्रोतों के श्रेष्ठता कम की प्रयोज्यता

चूँकि आर ई स्रोत प्रकृति के स्वभाव पर निर्भर है, तथा लघु क्षमता के हैं अतः श्रेष्ठता कम प्रेषण/कय का सिद्धान्त राज्य के भीतर स्थानीय ग्रामीण ग्रिड्स या वितरण अनुज्ञापी को ऐसे स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें आवश्यक रूप से चलाये जाने वाले स्टेशन माना जायेगा।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड

29. लघु हायड्रो उत्पादन संयंत्र

लघु हायड्रो उत्पादा स्टेशनों के लिए सामान्य शुल्क के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित अनुसार होंगे।

01.01.2002 से 31.03.2007 के पश्चात् प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	क्षमता उपयोग कारक	अनुषांगी उपभोग
	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(%)	(%)
5 मेगावाट तक	550	15.90	45%	1%
5 मेगावाट से 10 मेगावाट तक	550	14.77		
10 मेगावाट से 15 मेगावाट तक		13.63		
15 मेगावाट से 20 मेगावाट तक		12.49		
20 मेगावाट से 25 मेगावाट तक		11.36		

वित्त वर्ष 2007–08 से 2008–09 की अवधि में प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	क्षमता उपयोग कारक	अनुषांगी उपभोग
	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(%)	(%)
5 मेगावाट तक	600	18.79	45%	1%
5 मेगावाट से 10 मेगावाट तक	600	17.45		
10 मेगावाट से 15 मेगावाट तक		16.10		
15 मेगावाट से 20 मेगावाट तक		14.76		
20 मेगावाट से 25 मेगावाट तक		13.42		

01.04.2009 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	क्षमता उपयोग कारक	अनुषांगी उपभोग
	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(%)	(%)
5 मेगावाट तक	700	21	45%	1%
5 मेगावाट से 10 मेगावाट तक	685	20		
10 मेगावाट से 15 मेगावाट तक	670	18		
15 मेगावाट से 20 मेगावाट तक	650	17		
20 मेगावाट से 25 मेगावाट तक	630	15		

नोट–

इस विनियम के उद्देश्य हेतु मानकीय सी यू एफ अन्तः संयोजन बिंदु पर वाह्य प्रेषित ऊर्जा पर आधारित है तथा शुल्क के उद्देश्य हेतु विकासक द्वारा बचनबद्व गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा का ऊर्जा शुद्व, यदि कोई है, शुल्क में विचारित किया जायेगा। सामान्य शुल्क अवधारण हेतु, गृह राज्य भाग 16 वें वर्ष से आगे 18 प्रतिशत लिया गया है।

30. बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाएं

(1) बायो मास उत्पादन स्टेशन्स हेतु सामान्य शुल्क के अवधारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित अनुसार होंगे:

वित्त वर्ष 2007–08 से 2008–2009 की अवधि में प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूँजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	स्टेशन ताप दर	ईंधन का कैलोरिफिक मूल्य	अनुषांगी उपभोग	क्षमता उपयोग कारक
(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(के सी ए एल/केडब्ल्यू एच)	(के सी ए एल/केजी)		
425	18.12	4200	3371	10 प्रतिशत	i. स्थिरीकरण अवधि के दौरान 60 प्रतिशत ii. प्रथम वर्ष की शेष अवधि के दौरान (स्थिरीकरण के पश्चात् 70 प्रतिशत iii. द्वितीय वर्ष से आगे : 80 प्रतिशत

01.04.2009 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूँजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	स्टेशन ताप दर	ईंधन का कैलोरिफिक मूल्य	अनुषांगी उपभोग	क्षमता उपयोग कारक
(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(के सी ए एल/केडब्ल्यू एच)	(के सी ए एल/केजी)		
450	20.25	4200	3371	10 प्रतिशत	i. स्थिरीकरण अवधि के दौरान 60 प्रतिशत ii. प्रथम वर्ष की शेष अवधि के दौरान (स्थिरीकरण के पश्चात् 70 प्रतिशत iii. द्वितीय वर्ष से आगे : 80 प्रतिशत

नोट–

a) स्थिरीकरण अवधि परियोजना के प्रवर्तन में आने की तिथि से 6 माह से अधिक नहीं होगी।

b) आधार वर्ष वित्त वर्ष 2009–10 हेतु ईंधन लागत रू0 1518/ एम टी ली जायेगी, जो ईंधन चढाई उतराई हेतु वार्षिक स्फीति दर (डब्ल्यू पी आई) सूची बद्ध उर्जा प्रभार घटक (आई आर सी) तथा परिवहन लागत (उच्च गति डीजल हेतु कीमत पी डी) पर आधारित शुल्क के भिन्न–भिन्न वर्षो के लिए निम्नलिखित फारमूला के अनुसार कमशः 20%, 60% तथा 20% के साथ सूची बद्ध होगीः

c) $P(n)=P(n-1)*\{0.2*(WP1(n)/WP1(n-1)+0.6*(1+IRC)(n)+0.2*(pd(n)/pd(n-1)))\}$

d) तथापि, चूँकि n^{th} वर्ष हेतु सूचकांक n^{th} वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही ज्ञात हो पायंगे अतः उत्पादक को पिछले वर्ष ईंधन लागत पर 5 प्रतिशत के मानकीय बृद्धि कारक के आधार पर n^{th} वर्ष हेतु ईंधन लागत बिल जारी करने की अनुमति होगी जिसे वर्ष हेतु वास्तविक सूचकांक के आधार समायोजित किया जायेगा।

e) वैकल्पिक रूप से, शुल्क अवधि से प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष हेतु 5 प्रतिशत प्रति वर्ष का मानकीय वृद्धि कारक बायोमास परियोजना विकासक के विकल्प पर लागू होगा। मानकीय वृद्धि कारक का स्तरीकृत सामान्य शुल्क के कामकाज पूँजी स्थिर लागत घटक के अवधारण हेतु विचार किया जायेगा।

परन्तु उत्पादक को, वितरण अनुज्ञापी को मानकीय अथवा सूचीबद्ध ईंधन लागत हेतु विकल्प, प्रवर्तन में आने की तिथि से कम से कम 3 माह पहले या इन विनियमों के जारी होने की तिथि से एक माह पश्चात्, दोनों में से जो बाद में हो, देना होगा। एक बार प्रयोग किये गये विकल्प को पी पी ए की विधिमान्य अवधि के दौरान परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

(2) वर्ष हेतु शुल्क के ईंधन लागत घटक का निर्धारित निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा।

$$\text{परिवर्तनीय प्रभार की दर} = Rs/KWG/Vc = \frac{\text{कुल स्टेशन ताप दर (GSHR)} \times Pn \times 100}{\text{कुल कैलोरिफिक मूल्य (GCV)} \; 100 \times Aux}$$

(3) ईंधन मिश्र

a) बायोमास ऊर्जा संयंत्र इस प्रकार अभिकल्पित किया जायेगा कि यह बायोमास ऊर्जा संयंत्र के सामीप्य में उपलब्ध भिन्न–भिन्न प्रकार के गैर जीवश्म ईंधन, जैसे कि फसल

के अपशिष्ट, कृषि–औद्योगिक अपशिष्ट, वन अपशिष्ट इत्यादि तथा एएम एन आर ई द्वारा स्वीकृत अन्य बायो मास ईंधन, का उपयोग करें।

b) बायोमास ऊर्जा उत्पादन कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि संबंधित परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ईंधन योजना बनाई जाये।

(4) जीवाश्म ईंधन का उपयोग

जीवाश्म ईंधन का उपयोग, वार्षिक आधार पर कुल ईंधन उपभोग के 15 प्रतिशत तक सीमित किया जायेगा।

(5) जीवाश्म ईंधन के उपयोग हेतु कियाविधि का अनुश्रवण

a) परियोजना विकासक मासिक विद्युत बिल के साथ, प्रत्येक माह हेतु लाभार्थी को अधिकृत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित मासिक ईंधन उपयोग विवरण तथा मासिक ईंधन अधिप्राक्ति विवरण (जीवाश्म व गैर जीवश्म ईंधन उपभोग के अनुश्रवण के उद्देश्य से आयोग द्वारा नियुक्त उपयुक्त अभिकरण को एक प्रति के साथ प्रस्तुत करेगा। इस विवरण में निम्नलिखित विवरण होंगे।

(i) ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से माह के दौरान उपभोग किये व प्राप्त किये प्रत्येक ईंधन प्रकार की संचयी मात्रा (टनों में)।

(ii) वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक उपभोग किये व प्राप्त किये प्रत्येक ईंधन प्रकार की संचयी मात्रा (टनों में)।

(iii) माह के दौरान वास्तविक (कुल व शुद्ध) ऊर्जा उत्पादन (यूनिटों में अंकित)।

(iv) वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक संचयी वास्तविक (कुल व शुद्ध) ऊर्जा उत्पादन (यूनिटों में अंकित)।

(v) प्रारम्भिक (Opening) ईंधन माल मात्रा (टनों में)।

(vi) ऊर्जा संयंत्र स्थल पर ईंधन मात्रा (टनों में) की प्राप्ति

(vii) ऊर्जा संयंत्र स्थल पर उपलब्ध प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन तथा जीवाश्यम ईंधन) हेतु समापन ईंधन माल मात्रा (टनों में)।

b) किसी वित्त वर्ष के दौरान परियोजना विकासक द्वारा जीवाश्म ईंधन उपयोग की शर्तों के अनानुपालन पर ऐसे बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजना के लिये इन विनियमों के अनुसार शुल्क की प्रयोज्यता वापस ले ली जायेगी।

31. गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाएं

(1) गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए सामान्य शुल्क के अवधारण हेतु प्रौद्यौगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित अनुसार होंगे:

वित्त वर्ष 2001–02 से 2006–2007 की अवधि में प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूँजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	स्टेशन ताप दर	ईंधन का कैलोरिफिक मूल्य	अनुषांगी उपभोग	क्षमता उपयोग कारक
(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(के सी ए एल/केडब्ल्यू एच)	(के सी ए एल/केजी)		
350	10.11	3600	2250	8.5%	45%

वित्त वर्ष 2007–08 से 2008–2009 की अवधि में प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूँजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	स्टेशन ताप दर	ईंधन का कैलोरिफिक मूल्य	अनुषांगी उपभोग	क्षमता उपयोग कारक
(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(के सी ए एल/केडब्ल्यू एच)	(के सी ए एल/केजी)		
375	11.94	3600	2250	8.5%	45%

01.04.2009 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूँजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	स्टेशन ताप दर	ईंधन का कैलोरिफिक मूल्य	अनुषांगी उपभोग	क्षमता उपयोग कारक
(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(रू0 लाख/एम डब्ल्यू)	(के सी ए एल/केडब्ल्यू एच)	(के सी ए एल/केजी)		
445	13.35	3600	2250	8.5%	45%

(2) आधार वर्ष वित्त वर्ष 2009–10 के लिए ईंधन लागत 1013/एमटी ली जायेगी, जिसे ईंधन चढ़ाई उतराई हेतु वार्षिक स्फीति दर (डब्ल्यू पी आई) सूचकांकित उर्जा प्रभार घटक (आई आर सी) तथा परिवहन लागत उच्च गति डीजल हेतु कीमत पी डी के आधार पर शुल्क

अवधि के भिन्न–भिन्न वर्षों के लिए निम्नलिखित फारमूला के अनुसार के अनुसार क्रमशः 20%, 60% तथा 20% भारों के साथ सूचकांकित किया जायेगा।

$P(n)=P(n-1)*\{0.2*(WP1(n)/WP1(n-1)+0.6*(1+IRC)(n)+0.2*(pd(n)/pd(n-1))\}$

तथापि, चूँकि n^{th} वर्ष हेतु सूचकांक, n^{th} वर्ष के अंत के पश्चात ही ज्ञात होगा। अतः उत्पादक को पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5 प्रतिशत के मानकीय वृद्धि कारक पर आधारित n^{th} वर्ष हेतु ईंधन लागत, जो कि n^{th} वर्ष हेतु वास्तविक सूचकांक के आधार पर समायोजित की जाएगी, का बिल जारी करने की अनुमति होगी।

विकल्पतः, शुल्क अवधि के प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष के लिए 5: प्रति वर्ष का मानकीय वृद्धि कारक गैर जीवाश्म परियोजना विकासक के विकल्प पर प्रयोज्य होगा। स्तरीकृत सामान्य शुल्क के कामकाज पूंजी स्थिर लागत घटक के अवधारण हेतु मानकीय वृद्धि कारक का विचार किया जायेगा।

परन्तु उत्पादन के लिए वितरण अनुज्ञापी को, प्रवर्तन में आने की तिथि से कम से कम 3 माह पहले या इन विनियमों के जारी होने की तिथि से एक माह पश्चात, जो भी बाद में हो, मानकीय या सूचनांकित ईधन लागत का अपना विकल्प देना आवश्यक होगा। एक बार प्रयोग किये गये विकल्प को पी.पी.ए. की विधिमान्य अवधि के दौरान परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) आय वर्ष हेतु शुल्क ईधन लागत घटक का परिकलन निम्नलिखित तरीके से किया जायेगाः

$$\text{परिवर्तनीय प्रभार की दर (Rs./kWA)VCn} = \frac{\text{कुल स्टेशन ताप दर (GSHR)}}{\text{कुल कैलोरिफिक मूल्य (GCV)}} \times \frac{P_n}{(100\text{-AUX})} \times 10$$

32. सौर पी.वी. ऊर्जा परियोजना

सौर वी.पी. ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य शुल्क के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित अनुसार होंगेः–

01.04.2009 को या इसके पश्चात प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूंजी लागत	प्रवर्तन में आने में वर्ष हेतु ओएण्डएम व्यय	क्षमता उपयोग कारक
(रु0 लाख/एम डब्लू)	(रु0 लाख/एम डब्लू)	
1700	9	19%

33. सौर्य तापीय ऊर्जा परियोजना

सौर्य तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य शुल्कों के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड नीचे लिखे अनुसार होंगेः–

01.04.2009 को या उसके पश्चात प्रवर्तन में आई परियोजनाऐं

पूंजी लागत	प्रवर्तन में आने में वर्ष हेतु ओएण्डएम व्यय	अनुषंगी उपयोग	क्षमता उपयोग कारक
(रु0 लाख/एम डब्लू)	(रु0 लाख/एम डब्लू)		
1300	13.00	10%	23%

34. पवन ऊर्जा

a) पवन परियोजनाओं के लिए सामान्य शुल्कों के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड नीचे लिखे अनुसार होगें:–

01.04.2009 को या उसके पश्चात प्रवर्तन में आई परियोजनाऐं

पूंजी लागत	ओएण्डएम व्यय	वार्षिक औसत पवन ऊर्जा घनत्व	क्षमता उपयोग कारक
(रु0 लाख/एम डब्लू)	(रु0 लाख/एम डब्लू)	(डब्लू/एम^2)	
515	6.50	200–250	20%
		250–300	23%
		300–400	27%
		>400	30%

नोटः–

शुल्क की प्रयोज्यता हेतु उत्पादक को वार्षिक औसत पवन ऊर्जा घनत्व पर विधिवत विधिमान्य जानकारी प्रदान की जायेगी। उपरोक्त उप–विनियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक औसत पवन ऊर्जा घनत्व को 50 मीटर हब ऊँचाई पर नापा जायेगा तथा इसे पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार या उसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

35. सामान्य शुल्क

उपरोक्त प्रौद्योगिकीयों के लिए प्रवर्तन में आये वर्ष पर आधारित सामान्य शुल्क परिशिष्ट–1 में दिये गये हैं।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

36. पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार तथा हानियां

(1) पारेषण प्रभारः उपयोग के गंतव्य तक आर.ई. आधारित उत्पादन स्टेशनों या सह–उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत ले जाने के लिए राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली को भेदभाव

रहित उन्मुक्त अभिगमन हेतु आर ई उत्पादक या उपभोक्ता, यथा स्थिति, को राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु तब तक नीचे दिये अनुसार व्हीलिंग प्रभार तथा पारेषण प्रभार का भुगतान करना होगा जब तक कि इस के अवधारण हेतु कार्य विधि या इसके लिए दरें एक पृथक विनियम के द्वारा विनिर्दिष्ट न कर दी जायें।

पारेषण प्रभार = एटीसी / यूएचटी (रु0 / केडब्लूएच में)
पारेषण प्रभार =(एआरआर-पीपीसी -टीसी) / यूएचडी (रु0 / केडब्लूएच में)

एटीसी = वर्ष विशेष के लिए राज्य पारेषण प्रणाली हेतु आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक पारेषण प्रभार।

यूएचटी = वर्ष विशेष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित, राज्य पारेषण प्रणाली द्वारा दी गयी कुल यूनिटें।

एआरआर = वर्ष विशेष के लिए आयोग द्वारा अवधारित वितरण अनुज्ञापी की वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं।

पीपीसी = वर्ष विशेष हेतु वितरण अनुज्ञापी की कुल ऊर्जा क्रय लागत।

टीसी = वर्ष विशेष हेतु राज्य तथा अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए वितरण अनुज्ञापी द्वारा भुगतान किये गये कुल पारेषण प्रभार।

यूएचडी = वर्ष विशेष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित, संबंधित वितरण अनुज्ञापी द्वारा विक्रय की गई कुल यूनिटें।

परन्तु राज्य के भीतर स्थानीय ग्रामीण ग्रिड या वितरण अनुज्ञापी को विद्युत के विक्रय हेतु कोई पारेषण या व्हीलिंग प्रभार देय नहीं है।

आगे यह भी कि यदि एक उत्पादक राज्य के बाहर विद्युत आपूर्ति प्रस्तावित करता है तो उसे उन पर विनिर्दिष्ट पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त केवल ऐसी ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु उपयोग किये गये पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की समर्पित लाईनों तथा उपस्टेशन हेतु पूर्ण पारेषण/व्हीलिंग प्रभार वहन करने होंगे।

आगे यह भी कि यदि एक से अधिक उत्पादक, अपनी ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की साझा समर्पित पारेषण/वितरण प्रणाली पर राज्य के बाहर विद्युत आपूर्ति करना प्रस्तावित करते हैं तो उन्हें उनपर विनिर्दिष्ट पारेषण/व्हीलिंग प्रभार के अतिरिक्त, संस्थापित क्षमता के यथानुपात आधार पर केवल ऐसी ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु उपयोग किये गये पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की ऐसी समर्पित लाईनों तथा उपस्टेशन हेतु पूर्ण पारेषण/व्हीलिंग प्रभार वहन करने होंगे।

(2) पारेषण तथा व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, राज्य के भीतर पारेषण व वितरण प्रणाली हानियों को वर्ष विशेष के लिए राज्य अनुज्ञापियों के सुसंगत शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित औसत पारेषण व वितरण हानियों पर वस्तु रूप में समायोजित किया जायेगा।

परन्तु अन्तः क्षेपण का बिंदु, राज्य पारेषण/वितरण अनुज्ञापी का उप स्टेशन होगा।

आगे यह और कि स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को या राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापी को विद्युत के विक्रय हेतु किन्हीं हानियों को वस्तु रूप में समायोजित नहीं किया जायेगा।

37. प्रति सहायिकी अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार

जब तक कि संबंधित वर्ष के शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अन्यथा अवधारित न किया जाये, पारेषण व/या वितरण प्रणाली तक उन्मुक्त अभिगमन चाह रहे उपभोक्ता द्वारा कोई भी प्रति सहायिकी अधिभार या अतिरिक्त अधिभार देय नहीं होगा।

38. ऊर्जा का निष्क्रमण

(1) पारेषण अनुज्ञापी तथा वितरण अनुज्ञापी, निकट तम संभव उपस्टेशन, अधिमान रूप से ऐसे उत्पादक स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि में, आर ई आधारित उत्पादन स्टेशनों तथा सह–उत्पादन स्टेशनों को संयोजिता प्रदान करने का प्रयास करेंगे, वे आगे, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट किये अनुसार ग्रिड के साथ संयोजिता तथा निर्माण व विद्युत लाईनों के लिए तकनीकी मानकों व तकनीकी साध्यता के अधीन उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजिता प्रदान करने के लिये आपस में सहमति कर सकते हैं।

(2) परेषण/वितरण अनुज्ञापी के निकटतम उप–स्टेशन तक पारेषण लाईन बिछाने, आवश्यक बे, टर्मिनल उपकरण तथा सहायक सिंक्रोनाइजेशन उपकरण इत्यादि की लागत उत्पादक स्टेशन द्वारा वहन की जायेगी।

परन्तु उत्पादन स्टेशन, ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली का निर्माण कार्य राज्य पारेषण/वितरण अनुज्ञापी से करवा सकता है, जिसके लिए पर्यवेक्षण प्रभार, पारेषण या वितरण अनुज्ञापी को देय होगा, जो कि मजदूरी की लागत कर 15 % से अधिक नहीं होगा।

परन्तु आगे यह भी कि बे के विस्तार हेतु भूमि उप–स्टेशन के स्वामी द्वारा निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

(3) यदि उत्पादक कम्पनी समर्पित लाईन का निर्माण वितरण अनुज्ञापी से अन्य किसी अभिकरण द्वारा करवाना तय करती है तो पारेषण/वितरण अनुज्ञापी तथा किसी स्थिति को कोई पर्यवेक्षण प्रभार देय नहीं होगें।

39. पारेषण लाईनों तथा उपकरणों का अनुरक्षण

(1) उत्पादन स्थल पर टर्मिनल उपकरण तथा ऐसे उत्पादन स्टेशन से स्वामित्व वाली समर्पित लाईनों के अनुरक्षण हेतु उत्पादन स्टेशन उत्तरदायी होगा। तथापि, यदि उत्पादन कम्पनी चाहे तो वितरण/पारेषण अनुज्ञापी, यथा स्थिति, आपस में सहमत हुए प्रभारों पर समर्पित पारेषण का अनुरक्षण कर सकते हैं, ये प्रभार, 5.72 % की वृद्धि दर के साथ होंगे तथा

2009–10 हेतु विनियम 16(1)(बी) में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार लाईन तथा उपकरणों की लागत के 1.5% से कम नहीं होंगे।

(2) वितरण अनुज्ञापी या पारेषण अनुज्ञापी या राज्य पारेषण युटिलिटी, यथा स्थिति, सम्बन्धित अनुज्ञापी के उप स्टेशन पर टर्मिनल उपकरण (णों) के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

40. एस.एल.डी.सी. प्रभार

राज्य वितरण अनुज्ञापी से अन्य किसी व्यक्ति या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विक्रय हेतु आई ई जी सी तथा राज्य ग्रिड संहिता योजना के अनुसार ईष्टतम अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के सिद्धांत लागू होंगे तथा इस उद्देश्य हेतु आर. ई. आधारित उत्पादन स्टेशनों तथा सह–उत्पादन स्टेशनों के सुसंगत विनियमों में पृथक रूप से विर्निर्दिष्ट हो जाने तक एस.एल. डी.सी. को रू.2000/–प्रतिदिन की शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा।

41. मीटररिंग व्यवस्था

(1) राज्य वितरण अनुज्ञापियों या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विक्रय हेतु आर.ई. आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह उत्पादन स्टेशन सी.ई.ए. द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में मीटरों के संस्थापन की शर्त का अनुपालन करते हुए विनियम 3(1) (पी) के अधीन परिभाषित रूप में अन्तः संयोजन के बिन्दु पर मीटर्स उपलब्ध करायेंगे।

(2) राज्य वितरण अनुज्ञापियों या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड से अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय हेतु आर.ई. आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स, सी.ई.ए. द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में मीटरों की संस्थापना की शर्तों का अनुपालन करते हुए अन्तः क्षेपण के बिन्दु (अर्थात निकटतम पारेषण या वितरण उप–स्टेशन जिसके साथ उप–स्टेशन समर्पित निष्क्रमण लाईन तथा/या पारेषण/वितरण प्रणाली से माध्यम से संयोजित है) पर ए.बी.टी. अनुकूल विशेष ऊर्जा मीटर्स उपलब्ध करायेंगे।

42. ऊर्जा लेखाकरण व बिलिंग

राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऊर्जा लेखाकरण करेगा तथा राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसरण में एस.एल.डी.सी. द्वारा संरचित योजना के अनुसार ग्रिड के साथ आदान–प्रदान कर रही यूटिलिटी को इसे संप्रेषित करेगा। एस.एल.डी.सी. अन्तर्राज्य/उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लेन–देन हेतु भी बिलिंग करेगा।

परन्तु क्षेत्र वितरण अनुज्ञापी को विक्रय के मामलों में ऊर्जा क्रय करार संयुक्त मीटरिंग उपबंधित कर सकता है तथा ऐसे मामलों में ऊर्जा लेखाकरण तथा बिलिंग, संबंधित वितरण अनुज्ञापी के साथ मिल कर उत्पादन स्टेशन द्वारा किया जायेगा।

43. उत्पादन स्टेशन द्वारा विद्युत या क्रय/स्टार्टअप ऊर्जा

कोई व्यक्ति जो उत्पादन स्टेशन स्थापित, अनुरक्षित व परिचालित करता है तथा जिसे वर्ष भर अनुज्ञापी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो अनुज्ञापी का उपभोक्ता नही है वह उत्पादन कंपनी से वितरण अनुज्ञापी से तब विद्युत क्रय कर सकता है जब उसके अपने उपयोग की आवश्यकता पूरी करने के या स्टार्टअप के लिए उसका अपना संयत्र विद्युत उत्पादित करने की स्थिति में नहीं है तथा परिणामस्वरूप वितरण अनुज्ञापी से विद्युत प्राप्त करने की आवश्यकता है।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी से ऐसे विद्युत क्रय को आयोग द्वारा औद्यौगिक उपभोक्ताओं हेतु अस्थायी विद्युत आपूर्ति के लिए निर्धारित समुचित प्रशुल्क तालिका के आधार पर उस माह की अधिकतम मांग संविदा मॉग मानते हुए किया जायेगा। उस माह हेतु स्थिर/मांग प्रभार उन दिनों की संख्या हेतु देय होंगे जिस अवधि में आपूर्ति की गई है। तथापि, ऐसे व्यक्ति को मासिक न्यूनतम प्रभारों या मासिक न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभारों या अन्य प्रभारों से छूट प्राप्त होगी।

परन्तु यह भी कि किसी, व्यापारी या उत्पादन कंपनी के माध्यम से ऊर्जा के क्रय के मामले में दर आपसी सहमति से तय होगी, तथापि, पारेषण व व्हीलिंग प्रभार, आयोग के सुसंगत शुल्क आदेश के अनुसार देय होंगे।

44. ऊर्जा की बैंकिंग (केवल बंधित उत्पादन संयंत्रो के मामले में लागू)

(1) उत्पादन स्टेशनों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संयंत्र की स्थिति या बंदी या अनुरक्षण की स्थिति में बैंक की गई ऊर्जा की निकासी के उद्देश्य हेतु एक कैलेंडर माह की अवधि के भीतर ऊर्जा बैंक करने की अनुमति होगी।

a) संयत्र तथा वितरण अनुज्ञापी के मध्य सहमति के अनुसार 100% तक ऊर्जा की बैंकिंग 17.00 बजे से 22.00 बजे तक की अवधि के दौरान (इस उद्देश्य हेतु पीक आवर्स के रूप में विनिर्दिष्ट) अनुमोदित होगी।

b) ऊर्जा की निकासी की अनुमति 17.00 बजे से 22.00 बजे को छोड़ कर अन्य समय पर होगी।

c) संयत्र एबीटी अनुपालक विशेष ऊर्जा मीटर्स उपलब्ध करायेगा तथा ऊर्जा विक्रय का मासिक निपटान एस.ई.एम. मीटर रीडिंग के अनुसार पीक आवर्स के दौरान आपूर्ति की गई ऊर्जा के आधार पर किया जायेगा तथा इसे बैंक की गई ऊर्जा समझा जायेगा। संयत्र द्वारा आपूर्ति की गई शेष ऊर्जा के लिए मासिक निपटारन, वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति हेतु विनिर्दिष्ट दर पर किया जायेगा।

d) राज्य में राज्य के भीतर ए.बी.टी. की शुरूआत होने पर बैंक की गई ऊर्जा बैंकिंग व निकासी अगले दिन के सूचीकरण के अधीन होगी।

e) एस.इ.एम. मीटरों द्वारा अभिनिश्चित, संचय द्वारा प्रत्याहित ऊर्जा, जिसे बैंक की गई ऊर्जा से निकासी नहीं माना जा सकता, संयंत्र द्वारा क्रय की गई ऊर्जा मानी जायेगी।

f) खण्ड (ई) के अधीन या अन्यथा संयंत्र द्वारा ऊर्जा का क्रय उपरोक्त विनियम 43 के उपबंधों के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

g) एक उत्पादन स्टेशन को ऐसी ऊर्जा की निकासी की अनुमति होगी जिसे किसी वित्त वर्ष विशेष में उसी वर्ष या अनुगामी वित्त वर्ष की अवधि में बैंक किया गया था।

h) अनुगामी वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोग न की गई शेष बैंक की गई ऊर्जा को क्रय के रूप में लिया जायेगा तथा वित्तीय निपटान सामान्य शुल्क पर उस वर्ष के लिए किया जायेगा जिस वर्ष के दौरान ऊर्जा बैंक की गई थी। इस प्रकार उपयोग में न लाई गई बैंक की हुई ऊर्जा से किन्हीं बैंकिंग प्रभारों का घटाव नहीं किया जायेगा।

i) बैंकिग प्रभार, बैंक की गई ऊर्जा का 12.5% होंगे।

45. व्यावृत्तियां

इस विनियमावली के अन्तर्गत कुछ भी व्यक्त या अव्यक्त रूप से आयोग को किसी विषय पर या विनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के निर्वाह करने से नहीं रोकेगा। जिसके लिए विनियम नही बनाये गए है एवं आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों एवं कर्तव्यों का, जैसा वह उचित समझे, निर्वाह करेगा।

46. कठिनाईयां दूर करने की शक्तियाँ

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से सम्भवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत हाने वाले ऐसे उपबंध बना सकता है जो इन विनियमों से असंगत न हों।

47. शिथिलिकरण की शक्ति

आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबंध का शिथिलिकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।

संलग्नक–1: सामान्य दरें

1. एसएचपी (25 मेवा0 तक) के लिए स्तरीकृत दर हेतु निर्धारित शुल्क (आरएफसी) रू0/केडब्लूएच में।

ए) 01.01.2002 के पश्चात् तथा 31.03.2007 तक प्रवर्तन में आई SHPs

विवरण		5 मेगावाट तक			5 से ऊपर तथा 10 मेगावाट तक			10 से ऊपर तथा 15 मेगावाट तक			15 से ऊपर तथा 20 मेगावाट तक			20 से ऊपर तथा 25 मेगावाट तक		
		स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर
1. स्तरीकृत (सम्पूर्ण जीवन)		2.85	0.20	2.65	2.85	0.20	2.65	2.80	0.20	2.60	2.75	0.20	2.55	2.70	0.20	2.50
2. स्तरीकृत	आरम्भ के 10 वर्ष	3.00	0.25	2.75	3.00	0.25	2.75	2.95	0.25	2.70	2.95	0.25	2.70	2.90	0.25	2.65
	बाकी जीवन	2.50	-	2.50	2.40	-	2.40	2.30	-	2.30	2.25	-	2.25	2.15	-	2.15
3. वार्षिक दरें	वर्ष															
	1	3.35	0.95	2.40	3.35	0.95	2.40	3.35	0.95	2.40	3.30	0.95	2.35	3.30	0.95	2.35
	2	3.20	1.05	2.15	3.25	1.05	2.20	3.20	1.05	2.15	3.20	1.05	2.15	3.15	1.05	2.10
	3	3.10	0.05	3.05	3.15	0.05	3.10	3.10	0.05	3.05	3.10	0.05	3.05	3.05	0.05	3.00
	4	3.00	-0.10	3.10	3.00	-0.10	3.10	3.00	-0.10	3.10	2.95	-0.10	3.05	2.95	-0.10	3.05
	5	2.90	-0.10	3.00	2.90	-0.10	3.00	2.90	-0.10	3.00	2.85	-0.10	2.95	2.85	-0.10	2.95
	6	2.80	-0.10	2.90	2.80	-0.10	2.90	2.80	-0.10	2.90	2.75	-0.10	2.85	2.70	-0.10	2.80
	7	2.70	-0.10	2.80	2.70	-0.10	2.80	2.70	-0.10	2.80	2.65	-0.10	2.75	2.60	-0.10	2.70
	8	2.60	-0.10	2.70	2.60	-0.10	2.70	2.55	-0.10	2.65	2.55	-0.10	2.65	2.50	-0.10	2.60
	9	2.55	-0.05	2.60	2.50	-0.05	2.55	2.45	-0.05	2.50	2.45	-0.05	2.50	2.40	-0.05	2.45
	10	2.55	-0.05	2.60	2.50	-0.05	2.55	2.45	-0.05	2.50	2.40	-0.05	2.45	2.35	-0.05	2.40
	11	1.90	0.00	1.90	1.85	0.00	1.85	1.80	0.00	1.80	1.75	0.00	1.75	1.70	0.00	1.70
	12	1.95	0.00	1.95	1.90	0.00	1.90	1.85	0.00	1.85	1.75	0.00	1.75	1.70	0.00	1.70
	13	2.00	0.00	2.00	1.95	0.00	1.95	1.85	0.00	1.85	1.80	0.00	1.80	1.75	0.00	1.75
	14	2.05	0.00	2.05	1.95	0.00	1.95	1.90	0.00	1.90	1.85	0.00	1.85	1.80	0.00	1.80
	15	2.10	0.00	2.10	2.00	0.00	2.00	1.95	0.00	1.95	1.90	0.00	1.90	1.80	0.00	1.80
	16	2.60	0.00	2.60	2.50	0.00	2.50	2.45	0.00	2.45	2.35	0.00	2.35	2.25	0.00	2.25
	17	2.70	0.00	2.70	2.60	0.00	2.60	2.50	0.00	2.50	2.40	0.00	2.40	2.30	0.00	2.30
	18	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65	2.55	0.00	2.55	2.45	0.00	2.45	2.35	0.00	2.35
	19	2.85	0.00	2.85	2.75	0.00	2.75	2.60	0.00	2.60	2.50	0.00	2.50	2.40	0.00	2.40
	20	2.90	0.00	2.90	2.80	0.00	2.80	2.70	0.00	2.70	2.60	0.00	2.60	2.50	0.00	2.50
	21	3.00	0.00	3.00	2.90	0.00	2.90	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65	2.55	0.00	2.55
	22	3.10	0.00	3.10	2.95	0.00	2.95	2.85	0.00	2.85	2.75	0.00	2.75	2.60	0.00	2.60
	23	3.20	0.00	3.20	3.05	0.00	3.05	2.95	0.00	2.95	2.80	0.00	2.80	2.65	0.00	2.65
	24	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15	3.00	0.00	3.00	2.90	0.00	2.90	2.75	0.00	2.75
	25	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25	3.10	0.00	3.10	2.95	0.00	2.95	2.80	0.00	2.80
	26	3.50	0.00	3.50	3.35	0.00	3.35	3.20	0.00	3.20	3.05	0.00	3.05	2.90	0.00	2.90
	27	3.65	0.00	3.65	3.45	0.00	3.45	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15	3.00	0.00	3.00
	28	3.75	0.00	3.75	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25	3.10	0.00	3.10
	29	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.35	0.00	3.35	3.20	0.00	3.20
	30	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.65	0.00	3.65	3.45	0.00	3.45	3.30	0.00	3.30
	31	4.20	0.00	4.20	4.00	0.00	4.00	3.80	0.00	3.80	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40
	32	4.35	0.00	4.35	4.15	0.00	4.15	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70	3.50	0.00	3.50
	33	4.50	0.00	4.50	4.30	0.00	4.30	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.60	0.00	3.60
	34	4.70	0.00	4.70	4.45	0.00	4.45	4.20	0.00	4.20	4.00	0.00	4.00	3.75	0.00	3.75
	35	4.85	0.00	4.85	4.60	0.00	4.60	4.35	0.00	4.35	4.15	0.00	4.15	3.90	0.00	3.90

**प्रवर्तन के प्रथम वर्ष के लिए सामान्य दरें होगी*

संलग्नक–1: सामान्य दरें

बी) वित्त वर्ष 2007–08 से 2008–09 की अवधि में प्रवर्तन में आई SHPs

विवरण		5 मेगावाट तक			5 से ऊपर तथा 10 मेगावाट तक			10 से ऊपर तथा 15 मेगावाट तक			15 से ऊपर तथा 20 मेगावाट तक			20 से ऊपर तथा 25 मेगावाट तक		
		स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्फल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर
1. स्तरीकृत (सम्पूर्ण जीवन)		3.20	0.20	3.00	3.15	0.20	2.95	3.15	0.20	2.95	3.05	0.20	2.85	3.00	0.20	2.80
2. स्तरीकृत	आरम्भ के 10 वर्ष	3.30	0.30	3.00	3.30	0.30	3.00	3.30	0.30	3.00	3.25	0.30	2.95	3.20	0.30	2.90
	बाकी जीवन	2.80	-	2.80	2.70	-	2.70	2.60	-	2.60	2.50	-	2.50	2.40	-	2.40
3. वार्षिक दरें	वर्ष															
	1	3.70	1.05	2.65	3.70	1.05	2.65	3.70	1.05	2.65	3.65	1.05	2.60	3.60	1.05	2.55
	2	3.55	1.15	2.40	3.60	1.15	2.45	3.55	1.15	2.40	3.55	1.15	2.40	3.50	1.15	2.35
	3	3.45	0.05	3.40	3.45	0.05	3.40	3.45	0.05	3.40	3.40	0.05	3.35	3.35	0.05	3.30
	4	3.35	-0.10	3.45	3.35	-0.10	3.45	3.30	-0.10	3.40	3.30	-0.10	3.40	3.25	-0.10	3.35
	5	3.25	-0.10	3.35	3.25	-0.10	3.35	3.20	-0.10	3.30	3.15	-0.10	3.25	3.15	-0.10	3.25
	6	3.10	-0.10	3.20	3.15	-0.10	3.25	3.10	-0.10	3.20	3.05	-0.10	3.15	3.00	-0.10	3.10
	7	3.00	-0.10	3.10	3.00	-0.10	3.10	3.00	-0.10	3.10	2.95	-0.10	3.05	2.90	-0.10	3.00
	8	2.90	-0.10	3.00	2.90	-0.10	3.00	2.85	-0.10	2.95	2.80	-0.10	2.90	2.80	-0.10	2.90
	9	2.85	-0.10	2.95	2.80	-0.10	2.90	2.75	-0.10	2.85	2.70	-0.10	2.80	2.65	-0.10	2.75
	10	2.85	-0.05	2.90	2.75	-0.05	2.80	2.70	-0.05	2.75	2.65	-0.05	2.70	2.60	-0.05	2.65
	11	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10	2.00	0.00	2.00	1.95	0.00	1.95	1.90	0.00	1.90
	12	2.20	0.00	2.20	2.10	0.00	2.10	2.05	0.00	2.05	2.00	0.00	2.00	1.90	0.00	1.90
	13	2.25	0.00	2.25	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10	2.05	0.00	2.05	1.95	0.00	1.95
	14	2.30	0.00	2.30	2.25	0.00	2.25	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10	2.00	0.00	2.00
	15	2.35	0.00	2.35	2.30	0.00	2.30	2.20	0.00	2.20	2.10	0.00	2.10	2.05	0.00	2.05
	16	2.95	0.00	2.95	2.85	0.00	2.85	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65	2.55	0.00	2.55
	17	3.05	0.00	3.05	2.95	0.00	2.95	2.80	0.00	2.80	2.70	0.00	2.70	2.60	0.00	2.60
	18	3.10	0.00	3.10	3.00	0.00	3.00	2.90	0.00	2.90	2.80	0.00	2.80	2.65	0.00	2.65
	19	3.20	0.00	3.20	3.10	0.00	3.10	2.95	0.00	2.95	2.85	0.00	2.85	2.75	0.00	2.75
	20	3.30	0.00	3.30	3.20	0.00	3.20	3.05	0.00	3.05	2.95	0.00	2.95	2.80	0.00	2.80
	21	3.40	0.00	3.40	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15	3.00	0.00	3.00	2.85	0.00	2.85
	22	3.50	0.00	3.50	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25	3.10	0.00	3.10	2.95	0.00	2.95
	23	3.65	0.00	3.65	3.50	0.00	3.50	3.35	0.00	3.35	3.20	0.00	3.20	3.05	0.00	3.05
	24	3.75	0.00	3.75	3.60	0.00	3.60	3.45	0.00	3.45	3.30	0.00	3.30	3.10	0.00	3.10
	25	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.40	0.00	3.40	3.20	0.00	3.20
	26	4.00	0.00	4.00	3.85	0.00	3.85	3.65	0.00	3.65	3.50	0.00	3.50	3.30	0.00	3.30
	27	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95	3.80	0.00	3.80	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40
	28	4.30	0.00	4.30	4.10	0.00	4.10	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70	3.50	0.00	3.50
	29	4.45	0.00	4.45	4.25	0.00	4.25	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.65	0.00	3.65
	30	4.65	0.00	4.65	4.40	0.00	4.40	4.20	0.00	4.20	3.95	0.00	3.95	3.75	0.00	3.75
	31	4.80	0.00	4.80	4.60	0.00	4.60	4.35	0.00	4.35	4.10	0.00	4.10	3.85	0.00	3.85
	32	5.00	0.00	5.00	4.75	0.00	4.75	4.50	0.00	4.50	4.25	0.00	4.25	4.00	0.00	4.00
	33	5.20	0.00	5.20	4.95	0.00	4.95	4.65	0.00	4.65	4.40	0.00	4.40	4.15	0.00	4.15
	34	5.40	0.00	5.40	5.15	0.00	5.15	4.85	0.00	4.85	4.60	0.00	4.60	4.30	0.00	4.30
	35	5.65	0.00	5.65	5.35	0.00	5.35	5.05	0.00	5.05	4.75	0.00	4.75	4.45	0.00	4.45

**प्रवर्तन के प्रथम वर्ष के लिए सामान्य दरें होगी*

संलग्नक–1: सामान्य दरें

सी) 01.04.2009 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई SHPs

विवरण		5 मेगावाट तक			5 से ऊपर तथा 10 मेगावाट तक			10 से ऊपर तथा 15 मेगावाट तक			15 से ऊपर तथा 20 मेगावाट तक			20 से ऊपर तथा 25 मेगावाट तक		
		स्कल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्कल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्कल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्कल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्कल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर
1. स्तरीकृत (सम्पूर्ण जीवन)		3.75	0.25	3.50	3.65	0.25	3.40	3.50	0.25	3.25	3.40	0.25	3.15	3.25	0.25	3.00
2. स्तरीकृत	आरम्भ के 10 वर्ष	3.90	0.35	3.55	3.80	0.35	3.45	3.70	0.35	3.35	3.55	0.30	3.25	3.40	0.30	3.10
	बाकी जीवन	3.25	-	3.25	3.10	-	3.10	2.95	-	2.95	2.75	-	2.75	2.60	-	2.60
3. वार्षिक दरें	वर्ष															
	1	4.35	1.20	3.15	4.25	1.20	3.05	4.15	1.15	3.00	4.00	1.10	2.90	3.85	1.10	2.75
	2	4.20	1.30	2.90	4.10	1.30	2.80	4.00	1.25	2.75	3.85	1.20	2.65	3.75	1.20	2.55
	3	4.05	0.05	4.00	4.00	0.05	3.95	3.90	0.05	3.85	3.75	0.05	3.70	3.60	0.05	3.55
	4	3.95	-0.15	4.10	3.85	-0.10	3.95	3.75	-0.10	3.85	3.60	-0.10	3.70	3.45	-0.10	3.55
	5	3.80	-0.15	3.95	3.75	-0.15	3.90	3.60	-0.15	3.75	3.50	-0.15	3.65	3.35	-0.15	3.50
	6	3.65	-0.15	3.80	3.60	-0.15	3.75	3.50	-0.15	3.65	3.35	-0.10	3.45	3.20	-0.10	3.30
	7	3.55	-0.10	3.65	3.45	-0.10	3.55	3.35	-0.10	3.45	3.25	-0.10	3.35	3.10	-0.10	3.20
	8	3.40	-0.10	3.50	3.35	-0.10	3.45	3.25	-0.10	3.35	3.10	-0.10	3.20	3.00	-0.10	3.10
	9	3.30	-0.10	3.40	3.25	-0.10	3.35	3.10	-0.10	3.20	3.00	-0.10	3.10	2.85	-0.10	2.95
	10	3.25	-0.10	3.35	3.15	-0.05	3.20	3.05	-0.05	3.10	2.90	-0.05	2.95	2.80	-0.05	2.85
	11	2.45	0.00	2.45	2.35	0.00	2.35	2.25	0.00	2.25	2.15	0.00	2.15	2.00	0.00	2.00
	12	2.50	0.00	2.50	2.40	0.00	2.40	2.30	0.00	2.30	2.20	0.00	2.20	2.05	0.00	2.05
	13	2.55	0.00	2.55	2.45	0.00	2.45	2.35	0.00	2.35	2.25	0.00	2.25	2.10	0.00	2.10
	14	2.65	0.00	2.65	2.50	0.00	2.50	2.40	0.00	2.40	2.30	0.00	2.30	2.15	0.00	2.15
	15	2.70	0.00	2.70	2.60	0.00	2.60	2.45	0.00	2.45	2.35	0.00	2.35	2.20	0.00	2.20
	16	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25	3.05	0.00	3.05	2.90	0.00	2.90	2.75	0.00	2.75
	17	3.45	0.00	3.45	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15	3.00	0.00	3.00	2.80	0.00	2.80
	18	3.55	0.00	3.55	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25	3.05	0.00	3.05	2.90	0.00	2.90
	19	3.65	0.00	3.65	3.50	0.00	3.50	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15	2.95	0.00	2.95
	20	3.75	0.00	3.75	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40	3.20	0.00	3.20	3.05	0.00	3.05
	21	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70	3.50	0.00	3.50	3.30	0.00	3.30	3.10	0.00	3.10
	22	4.00	0.00	4.00	3.80	0.00	3.80	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40	3.20	0.00	3.20
	23	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95	3.70	0.00	3.70	3.50	0.00	3.50	3.30	0.00	3.30
	24	4.25	0.00	4.25	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40
	25	4.40	0.00	4.40	4.20	0.00	4.20	3.95	0.00	3.95	3.70	0.00	3.70	3.50	0.00	3.50
	26	4.55	0.00	4.55	4.35	0.00	4.35	4.10	0.00	4.10	3.85	0.00	3.85	3.60	0.00	3.60
	27	4.70	0.00	4.70	4.45	0.00	4.45	4.20	0.00	4.20	3.95	0.00	3.95	3.70	0.00	3.70
	28	4.90	0.00	4.90	4.65	0.00	4.65	4.35	0.00	4.35	4.10	0.00	4.10	3.80	0.00	3.80
	29	5.05	0.00	5.05	4.80	0.00	4.80	4.50	0.00	4.50	4.25	0.00	4.25	3.95	0.00	3.95
	30	5.25	0.00	5.25	4.95	0.00	4.95	4.70	0.00	4.70	4.40	0.00	4.40	4.10	0.00	4.10
	31	5.45	0.00	5.45	5.15	0.00	5.15	4.85	0.00	4.85	4.55	0.00	4.55	4.25	0.00	4.25
	32	5.65	0.00	5.65	5.35	0.00	5.35	5.05	0.00	5.05	4.70	0.00	4.70	4.40	0.00	4.40
	33	5.90	0.00	5.90	5.55	0.00	5.55	5.20	0.00	5.20	4.90	0.00	4.90	4.55	0.00	4.55
	34	6.10	0.00	6.10	5.75	0.00	5.75	5.40	0.00	5.40	5.05	0.00	5.05	4.70	0.00	4.70
	35	6.35	0.00	6.35	6.00	0.00	6.00	5.65	0.00	5.65	5.25	0.00	5.25	4.90	0.00	4.90

**प्रवर्तन के प्रथम वर्ष के लिए सामान्य दरें होगी*

संलग्नक–1: सामान्य दरें

2. बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थिर शुल्क की स्तरीकृत दर (आरएफसी) तथा अस्थिर शुल्क रू0/केडब्लूएच में।

विवरण		स्थिर शुल्क की दर						वित्त वर्ष 2009–10 के अस्थिर प्रभार में 1 वर्ष के लिए के 5 प्रतिशत के साथ मानक में वृद्धि दर
		01.04.2009 से पूर्व प्रवर्तन में आयी परियोजनाएं			01.04.2009 काये या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आयी परियोजनाएं			
		स्कल दर	घटाया : त्वरित मूलयह्रास	कुल दर	स्कल दर	घटाया : त्वरित मूलयह्रास	कुल दर	
1. स्तरीकृत (सम्पूर्ण जीवन)		1.75	0.10	1.65	1.90	0.10	1.80	
2. स्तरीकृत	आरम्भ के 10 वर्ष	1.85	0.15	1.70	1.95	0.15	1.80	
	बाकी जीवन	1.50	-	1.50	1.65	-	1.65	
3. वार्षिक दरें	वर्ष							
	1	2.30	0.55	1.75	2.45	0.60	1.85	1.90
	2	1.85	0.50	1.35	2.00	0.50	1.50	2.00
	3	1.80	0.05	1.75	1.95	0.05	1.90	2.10
	4	1.80	-0.05	1.85	1.90	-0.05	1.95	2.20
	5	1.75	-0.05	1.80	1.85	-0.05	1.90	2.31
	6	1.70	-0.05	1.75	1.85	-0.05	1.90	2.43
	7	1.65	-0.05	1.70	1.80	-0.05	1.85	2.55
	8	1.65	-0.05	1.70	1.75	-0.05	1.80	2.68
	9	1.60	-0.05	1.65	1.75	-0.05	1.80	2.81
	10	1.60	-0.05	1.65	1.70	-0.05	1.75	2.95
	11	1.35	0.00	1.35	1.45	0.00	1.45	3.10
	12	1.40	0.00	1.40	1.50	0.00	1.50	3.25
	13	1.40	0.00	1.40	1.55	0.00	1.55	3.41
	14	1.45	0.00	1.45	1.60	0.00	1.60	3.59
	15	1.50	0.00	1.50	1.65	0.00	1.65	3.76
	16	1.55	0.00	1.55	1.70	0.00	1.70	3.95
	17	1.60	0.00	1.60	1.75	0.00	1.75	4.15
	18	1.65	0.00	1.65	1.80	0.00	1.80	4.36
	19	1.75	0.00	1.75	1.90	0.00	1.90	4.58
	20	1.80	0.00	1.80	1.95	0.00	1.95	4.80

**प्रवर्तन के प्रथम वर्ष के लिए अस्थिर प्रभार की दर लागू होगी*

संलग्नक–1: सामान्य दरें

3. गैर जीवाश्म–ईंधन आधारित सह–उत्पादक परियोजनाओं के लिए स्थिर शुल्क की स्तरीकृत दर (आरएफसी) तथा अस्थिर शुल्क रू0/केडब्लूएच में।

विवरण		स्थिर प्रभार की दर									वित्त वर्ष 2009–10 के अस्थिर प्रभार में 1 वर्ष के लिए के 5 प्रतिशत के साथ मानक में वृद्धि दर
		01.04.2007 से पूर्व प्रवर्तन में आयी परियोजनाएं			वित्त वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 की अवधि में प्रवर्तन में आयी परियोजनाएं			01.04.2009 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आयी परियोजनाएं			
		स्कल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्कल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	स्कल दर	घटाया : त्वरित मूल्यह्रास	कुल दर	
1. स्तरीकृत (सम्पूर्ण जीवन)		2.15	0.15	2.00	2.35	0.15	2.20	2.75	0.15	2.60	
2. स्तरीकृत	आरम्भ के 10 वर्ष	2.25	0.20	2.05	2.45	0.20	2.25	2.90	0.25	2.65	
	बाकी जीवन	1.70	-	1.70	1.90	-	1.90	2.20	-	2.20	
3. वार्षिक दरें	वर्ष										
	1	2.50	0.65	1.85	2.70	0.70	2.00	3.20	0.85	2.35	1.77
	2	2.40	0.70	1.70	2.65	0.75	1.90	3.10	0.90	2.20	1.86
	3	2.35	0.05	2.30	2.55	0.05	2.50	3.00	0.05	2.95	1.95
	4	2.30	-0.05	2.35	2.50	-0.05	2.55	2.90	-0.10	3.00	2.05
	5	2.20	-0.10	2.30	2.40	-0.10	2.50	2.85	-0.10	2.95	2.15
	6	2.15	-0.05	2.20	2.35	-0.10	2.45	2.75	-0.10	2.85	2.26
	7	2.10	-0.05	2.15	2.30	-0.05	2.35	2.65	-0.10	2.75	2.37
	8	2.05	-0.05	2.10	2.20	-0.05	2.25	2.60	-0.05	2.65	2.49
	9	1.95	-0.05	2.00	2.15	-0.05	2.20	2.50	-0.05	2.55	2.62
	10	1.95	-0.05	2.00	2.10	-0.05	2.15	2.45	-0.05	2.50	2.75
	11	1.60	0.00	1.60	1.75	0.00	1.75	2.00	0.00	2.00	2.89
	12	1.60	0.00	1.60	1.80	0.00	1.80	2.05	0.00	2.05	3.03
	13	1.65	0.00	1.65	1.85	0.00	1.85	2.10	0.00	2.10	3.18
	14	1.70	0.00	1.70	1.90	0.00	1.90	2.15	0.00	2.15	3.34
	15	1.75	0.00	1.75	1.95	0.00	1.95	2.20	0.00	2.20	3.51
	16	1.80	0.00	1.80	2.00	0.00	2.00	2.30	0.00	2.30	3.68
	17	1.85	0.00	1.85	2.05	0.00	2.05	2.35	0.00	2.35	3.87
	18	1.90	0.00	1.90	2.10	0.00	2.10	2.40	0.00	2.40	4.06
	19	1.95	0.00	1.95	2.15	0.00	2.15	2.45	0.00	2.45	4.26
	20	2.00	0.00	2.00	2.25	0.00	2.25	2.55	0.00	2.55	4.48

**प्रवर्तन के प्रथम वर्ष के लिए अस्थिर प्रभार की दर लागू होगी*

क्रम0 सं0	अनुमानित शीर्ष	उप शीर्ष	उप शीर्ष(2)	ईकाई	मात्रा
1	विद्युत उत्पादन				
		क्षमता			
			स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता	मेगावाट	
			क्षमता उपयोग कारक	%	
			वाणिज्यिक परिचालन की तिथि	माह / वर्ष	
			उपयोगी जीवन	वर्ष	
2	परियोजना लागत	पूंजी लागत / मेगावाट			
			मानक पूंजी लागत	रू0 लाख / मेवा0	
			पूंजी लागत	रू0 लाख	
			पूंजीगत सब्सिडी, यदि कोई हो	रू0 लाख	
			सकल पूंजी लागत	रू0 लाख	
3	वित्तीय अनुमानित		दर अवधि	वर्षों	
		ऋण : इक्विटी			
			ऋण	%	
			इक्विटी	%	
			कुल ऋण धनराशि	रू0 लाख	
			कुल इक्विटी धनराशि	रू0 लाख	
		ऋण घटक			
			ऋण धनराशि	रू0 लाख	
			प्रतिबंधित अवधि	वर्षों	
			वापसी अवधि (प्रतिबंधित अवधि सहित)	वर्षों	
			ब्याज दर	%	
		इक्विटी घटक	इक्विटी धनराशि		
			आरम्भ के 10 वर्षों की इक्विटी पर वापसी	रू0 लाख	
			11वें वर्ष से आगे इक्विटी पर वापसी	% प्रतिवर्ष	
			छूट दर	% प्रतिवर्ष	
				%	
		ह्रास	आरम्भ के 12 वर्षों में ह्रास दर	%	
			13वें वर्ष से आगे ह्रास दर	%	
		प्रोत्साहन	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यदि कोई हो	रू0 लाख प्रतिवर्ष	
			जीबीआई के लिए अवधि	वर्षों	
4	संचालन एवं रख–रखाव	प्रमाणिक ओएंडएम व्यय		रू0लाख / मेगावाट	
		प्रतिवर्ष ओएंडएम व्यय		रू0 लाख	
		ओएंडएम व्यय के वृद्धि कारक		%	
5	कार्यशील पूंजी				
		ओएंडएम व्यय	% का ओएंडएम व्यय	माह	
		रख–रखाव पूर्जे		%	
		प्राप्तियोग्य		माह	
		कार्यशील पूंजी पर ब्याज		% प्रतिवर्ष	

प्रपत्र– 2.1 : प्रारूप प्रपत्र (बायोमास ऊर्जा या गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन) हेतु : अनुमानित मापदण्ड

क्रम0 सं0	अनुमानित शीर्ष	उप शीर्ष	उप शीर्ष(2)	ईकाई	मात्रा
1	विद्युत उत्पादन	क्षमता	स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता	मेगावाट	
			सहायक उपभोग कारक	%	
			पीएलएफ(स्थिरीकरण के दौरान छः माह तक)	%	
			पीएलएफ(स्थिरीकरण के 1 वर्ष पश्चात्)	%	
			पीएलएफ(2 वर्ष से आगे)	%	
			वाणिज्यिक परिचालन तिथि	माह / वर्ष	
			उपयोगी जीवन	वर्ष	
2	परियोजना लागत	पूंजी लागत / मेगावाट	मानक पूंजी लागत	रू0लाख / मेवा0	
			पूंजी लागत	रू0 लाख	
			पूंजीगत सब्सिडी, यदि कोई हो	रू0 लाख	
			सकल पूंजी लागत	रू0 लाख	
3	वित्तीय अनुमानित	ऋण : इक्विटी	दर अवधि	वर्ष	
			ऋण	%	
			इक्विटी	%	
			कुल ऋण धनराशि	रू0 लाख	
			कुल इक्विटी धनराशि	रू0 लाख	
		ऋण घटक	ऋण धनराशि	रू0 लाख	
			प्रतिबंधित अवधि	वर्ष	
			वापसी अवधि (प्रतिबंधित अवधि सहित)	वर्ष	
			ब्याज दर	%	
		इक्विटी घटक	इक्विटी धनराशि	रू0 लाख	
			आरम्भ के 10 वर्षों की इक्विटी पर वापसी	% प्रतिवर्ष	
			11वें वर्ष से आगे इक्विटी पर वापसी	% प्रतिवर्ष	
			छूट दर	%	
		ह्रास	आरम्भ के 12 वर्षों में ह्रास दर	%	
			13वें वर्ष से आगे ह्रास दर	%	
		प्रोत्साहन	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यदि कोई हो	% प्रतिवर्ष	
			जीबीआई के लिए अवधि	वर्ष	
4	संचालन एवं रख–रखाव	प्रमाणिक ओएंडएम व्यय		रू0लाख / मेगावाट	
		प्रतिवर्ष ओएंडएम व्यय		रू0 लाख	
		ओएंडएम व्यय के वृद्धि कारक		%	
5	कार्यशील पूंजी	ओएंडएम व्यय		माह	
		रख–रखाव पूर्जे		%	
		प्राप्तियोग्य	% का ओएंडएम व्यय	माह	
		बायोमास भण्डार		माह	
		कार्यशील पूंजी पर ब्याज		% प्रतिवर्ष	
6	ईंधन सम्बन्धित अनुमानित	स्टेशन ताप दर	स्थिरीकरण के दौरान	केकैलोरी / केडब्लूएच	
			स्थिरीकरण के उपरान्त	केकैलोरी / केडब्लूएच	
		ईंधन प्रकार एवं मिक्स	बायोमास ईंधन प्रकार–1	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार–2	%	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला)	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार–1 की जीसीवी	केकैलोरी / किग्रा0	
			बायोमास ईंधन प्रकार–2 की जीसीवी	केकैलोरी / किग्रा0	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला) की जीसीवी	केकैलोरी / किग्रा0	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार–1) वर्ष–1	रू0 / एमटी	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार–2) वर्ष–1	रू0 / एमटी	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला): वर्ष–1	रू0 / एमटी	
			ईंधन की मूल्य वृद्धि कारक	% प्रतिवर्ष	

प्रपत्र– 1.2 : प्रारूप प्रपत्र (पवन ऊर्जा या लघु जल परियोजना या सौर पीवी/सौर ताप) हेतु : दर घटकों का निर्धारण

		वर्ष																																
इकाई उत्पादन	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
स्थापित क्षमता	मेगावाट																																			
कुल उत्पादन	मेगायूनिट																																			

		वर्ष																																		
इकाई उत्पादन	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ओएंडएम व्यय	रू0लाख																																			
ह्रास	रू0लाख																																			
अवधि ऋण पर ब्याज	रू0लाख																																			
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू0लाख																																			
इक्विटी पर वापसी	रू0लाख																																			
कुल स्थिर लागत	रू0लाख																																			

		वर्ष																																		
प्रति यूनिट टैरिफ घटक	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
पीयू ओएंडएम व्यय	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू ह्रास	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू अवधि ऋण पर ब्याज	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू0/केडब्लू एच																																			
पीय इक्विटी पर वापसी	रू0/केडब्लू एच																																			
कुल पीयू स्थिर घटक लागत	रू0/केडब्लू एच																																			

		वर्ष																																		
स्तरीकृत दर	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
छूट तत्व																																				
छूट तत्व घटक	रू0/केडब्लू एच																																			
स्तरीकृत दर	रू0/केडब्लू एच																																			

प्रपत्र– 2.2 : प्रारूप प्रपत्र (बायोमास ऊर्जा या गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन) हेतु : दर घटकों का निर्धारण

		वर्ष																															
ईकाई उत्पादन	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
स्थापित क्षमता	मेगावाट																																			
कुल उत्पादन	मेगायूनिट																																			

		वर्ष																																		
दर घटक (स्थिर प्रभार)	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ओएंडएम व्यय	रू0लाख																																			
ह्रास	रू0लाख																																			
अवधि ऋण पर ब्याज	रू0लाख																																			
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू0लाख																																			
इक्विटी पर वापसी	रू0लाख																																			
कुल स्थिर लागत	रू0लाख																																			

		वर्ष																																		
दर घटक (अस्थिर प्रभार)	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
बायोमास ईंधन प्रकार–1	रू0लाख																																			
बायोमास ईंधन प्रकार–2	रू0लाख																																			
जीवाश्म ईंधन (कोयला)	रू0लाख																																			
उप योग (ईंधन मूल्य)	रू0लाख																																			
ऊर्जा को आवंटित ईंधन मूल्य	%																																			
कुल ईंधन मूल्य	रू0लाख																																			

		वर्ष																																
प्रति यूनिट टैरिफ घटक	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
पीयू एंव ओएंडएम व्यय	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू ह्रास	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू अवधि ऋण पर ब्याज	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू इक्विटी पर वापसी	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू कुल स्थिर घटक (स्थिर)	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू कुल स्थिर घटक (अस्थिर)	रू0/केडब्लू एच																																			
पीयू कुल स्थिर घटक (कुल)	रू0/केडब्लू एच																																			

		वर्ष																																		
स्तरीकृत दर	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
छूट तत्व	रू0/केडब्लू एच																																			
छूट तत्व घटक (स्थिर)	रू0/केडब्लू एच																																			
छूट तत्व घटक (अस्थिर)	रू0/केडब्लू एच																																			
छूट तत्व घटक (कुल)	रू0/केडब्लू एच																																			
स्तरीकृत दर (स्थिर)	रू0/केडब्लू एच																																			
स्तरीकृत दर (अस्थिर)	रू0/केडब्लू एच																																			
स्तरीकृत दर (कुल)	रू0/केडब्लू एच																																			

आयोग के आदेश से,
ह0/–
पंकज प्रकाश,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 हिन्दी गजट/276–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।